न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर

बईजलास पीठासीन अधिकारीः—सांवरलाल आबासरा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 160/04
ऑन लाईन नम्बर 2004/00001

बाद दायर दिनांक 10.08.2004
निर्णय दिनांक 02.06.2025

1. खुशीलाल पिता सूरजमल महाजन निवासी डूंगरपुर मृतक के कायम मुकाम
   1/1 श्रीमती तिलका गॉधी बेवा खुशीलाल गॉधी
   1/2 श्री अनुप गॉधी पुत्र खुशीलाल गॉधी
   1/3 श्रीमती मीना जैन पुत्री खुशीलाल गॉधी पत्नी श्री प्रवीणमल
   1/4 श्रीमती रेखा पुत्री खुशीलाल गॉधी पत्नी श्री राजेश गोठी
   1/5 श्री लोकेश गॉधी पुत्र खुशीलाल गांधी
   1/6 श्रीमती सरोज जैन पुत्री खुशीलाल गांधी पत्नी चन्द्र प्रकाश जैन
   समस्त निवासीगण डूंगरपुर राजस्थान

2— वैलजी पिता गंगाराम ब्राह्मण इन्दौडा मृतक के कायम मुकाम
   2/1 श्रीमती पार्वती पति स्व. वेलजी उपाध्याय
   2/2 श्री चन्द्रकान्त पिता स्व. वेलजी उपाध्याय
   2/3 श्री पुष्पा मेहता पिता स्व. वेलजी उपाध्याय
   2/4 श्रीमती प्रेमलता पिता स्व. वेलजी उपाध्याय
   2/5 श्री पी.एन. उपाध्याय पिता स्व वेलजी उपाध्याय
   2/6 श्री जगदीश पिता स्व.वेलजी उपाध्याय
   निवासीगण नया बाजार डूंगरपुर राजस्थान

3. प्रेमजी पिता कमलजी ब्राह्मण इन्दौडा मृतक के कायम मुकाम
   3/1 मृतक कन्हैयालाल पिता स्व. प्रेमजी उपाध्याय के कायम मुकाम
   3/1/1 श्री अशोक कुमार पिता स्व.कन्हैयालाल उपाध्याय
   3/2 श्री मनसुखलाल पिता प्रेमजी उपाध्याय
   3/3 श्री दयाराम पिता प्रेमजी उपाध्याय
   समस्त निवासीगण डूंगरपुर

4. मनोहरलाल पिता सज्जनलाल निवासी डूंगरपुर

5. लक्ष्मणलाल पिता सज्जनलाल जी ब्राह्मण निवासी डूंगरपुर राजस्थान के कायम मुकाम
   5/1 श्रीमती भगवतीदेवी बेवा लक्ष्मणलालजी शर्मा निवासी दवे होटल के सामने सागवाडा रोड, डूंगरपुर हाल आई 250 हिरणमंगरी सेक्टर 4 उदयपुर राजस्थान
   5/2 श्री वीजेन्द्र कुमार पिता स्व. लक्ष्मणलालजी शर्मा निवासी डूंगरपर हाल उदयपुर 250 आई ब्लॉक सेक्टर 14 उदयपुर
   5/3 श्री मृगेन्द्र शर्मा पिता स्व. लक्ष्मणलालजी शर्मा निवासी डूंगरपुर हाल उदयपुर 250 आई ब्लॉक सेक्टर 14 उदयपुर
   5/4 श्री कमलेश शर्मा पिता स्व. लक्ष्मणलालजी शर्मा निवासी डूंगरपुर हाल उदयपुर आई सेक्टर 14 उदयपुर
   5/5 श्रीमती माया शर्मा पति दिनेशचन्द्र चौबीसा पुत्री लक्ष्मणलालजी शर्मा निवासी डूंगरपुर हाल 138 आई ब्लॉक सेक्टर 14 उदयपुर राजस्थान
   5/6 श्रीमती चित्रलेखा शर्मा नि.डूंगरपुर हाल 138 आई ब्लॉक सेक्टर 14 उदयपुर राजस्थान

6 सुशीलचन्द्र पिता सज्जनलालजी ब्राह्मण निवासी डूंगरपुर राजस्थान (मृतक के कायम मुकाम)
   6/1 दिनेश चन्द्र पिता स्व. सुशीलचन्द्र निवासी भुवनेश्वरी कॉलोनी डूंगरपुर
   6/2 श्री नवीन चन्द्र पिता स्व. सुशीलचन्द्र निवासी भुवनेश्वरी कॉलोनी डूंगरपुर
   6/3 श्री मधुश्याम पिता स्व. सुशीलचन्द्र निवासी भुवनेश्वरी कॉलोनी डूंगरपुर
   6/4 श्री कपीलचन्द्र पिता स्व. सुशीलचन्द्र निवासी भुवनेश्वरी कॉलोनी डूंगरपुर
   6/5 श्रीमती भुवनेश्वरी पत्नी स्व. सुशीलचन्द्र निवासी भुवनेश्वरी कॉलोनी डूंगरपुर

7. कैलाशचन्द्र पिता जवाहरलाल महाजन निवासी बम्बई जरिये देवीलाल पिता सूरजमल गॉधी निवासी डूंगरपुर राजस्थान

——वादीगण

—: बनाम :—

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर डूंगरपुर राज.
2. भूमि अवाप्ति अधिकारी डूंगरपुर राज.
3. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम डूंगरपुर जरिये प्रबन्धक एवं प्रभारी अधिकारी डूंगरपुर

——प्रतिवादीगण

उपस्थितः— श्री लक्ष्मीलाल जैन एवं श्री संजीव भटनागर अधिवक्ता, वादीगण की ओर से
श्री प्रकाश पटेल, अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 3 की ओर से

वाद बाबत् इश्तकरार कि जो नामान्तकरण तारीख 10.04.87 को किया, अवैध है एवं निषेधाज्ञा जारी करने दरख्वास्त अन्तर्गत धारा 91 राज. टिनेंसी एक्ट

—: निर्णय :— दिनांक 02.06.2025

प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा दिनांक 25.06.1987 को वाद पेश किया कि वादीगण का एक खाता नम्बर 52 शिरकती कस्बा डूंगरपुर में स्थित है जिसमें मूल खसरा नम्बर 1013 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा था। खसरा नंम्बर 1013/2 को भूमि अवाप्ति अधिकारी डूंगरपुर के एक अनियमित आदेश के अन्तर्गत अवाप्त करने की कार्यवाही भूमि अवाप्ति अधिनियम की विविध धाराओं के उल्लंघन करने की मनसवी कार्यवाही कर भूमि प्रतिवादी संख्या 3 को कब्जा दिलाने अथवा उनके नामान्तकरण करने के आदेश भूमि अवाप्ति अधिकारी प्रतिवादी/विपक्षी संख्या 2 ने 09.04.1987 पारित किये उक्त आदेश वादियान की अवाप्ति को सुने बगैर उनकी उनकी अदम मौजुदगी में दिये गये। वादीगण मे से चंद व्यक्ति ने अवाप्ति की कार्यवाही की वैद्यता नियमितता आदि के प्रश्न को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर स्थगन आदेश राजस्थान राज्य प्रतिवादी नं. 1 के विरूद्ध प्राप्त किये है। प्रतिवादी नं. 2 उपखण्ड अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) डूंगरपुर के अपने आदेश क्रमांक 3246—48 रे. (87/तारीख 09.04.87 एवं तहसीलदार डूंगरपुर के आदेश संख्या रेवेन्यु 87/551—53 दिनांक 09.04.87 की अनुपालना में पटवारी डूंगरपुर ने दिनांक 10.04.87 को वादीगण के खाता संख्या 1013/2 का नामान्तरण प्रतिवादी नं. 3 के पक्ष में कर दिया गया। नामान्तकरण नियमो एवं कानून की अवहेलना किए जाने से शुन्य है, मुख्य आरोप है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी के फैसले की पालना आदेश के अनुसार नही हो सकती आदेश फैसले के आधार पर सक्षम अधिकारी ही देख सकते है। आदेश की पालना के लिए विपक्षी सं. 3 ने कोई कार्यवाही नही की है, स्वयं भूमि अवाप्ती अधिकारी प्रतिवादी नं. 2 को नामान्तकरण तस्दीक करने के आदेश देने का अधिकार नही है। नामान्तकरण तस्दीक करने के पूर्व वादीगण अथवा जिनके पक्ष में नामान्तकरण किया गया है कोई नोटिस नही दिया है। वादीगण एवं अन्य जिनका भूमि में हित था उनकी अनुपस्थिति एवं नोटिस के बगैर तस्दीक किया गया है जो अवैध व शुन्य है। नामान्तकरण किस स्थान पर व किसके समक्ष व उपस्थिति में हुआ अंकित नही है। वादीगण उक्त अनियमित एवं अवैधानिक एवं असक्षम अधिकारी के आदेश की अनुपालना में नामान्तकरण से बाध्य नही है तथा घोषणा पाने के अधिकारी है। वादकारण दिनांक 10.04.87 तथा आदेश की जानकारी 18.04.87 को होने विरूद्व प्रतिवादीगण उत्पन्न हुई। अतः नामान्तरण संख्या 24 तारीख 10.04.87 को अवैध घोषित किया जाये तथा नामान्तकरण जो तस्दीक आदेश नं. 3246—48 रे/87 तारीख 9.4.87 एवं आदेश संख्या 87/551—53 को पालना में किया गया है को निरस्त किया जाकर प्रतिवादी नंम्बर 3 के नाम को हटाया जाये एवं निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाय कि आयन्दा अनियमित कार्यवाही नही कर जाए न दखल भूमि पर किया जाए बाबत् अनुतोष का निवेदन किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन जवाब तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से दिनांक 13.07.93 को जवाब प्रस्तुत किया गया। वाद वर्णित खाता की जमीन दिनांक 10.04.87 तक वादीगण के खाते में थी वाद पेश करने की दिनांक या वर्तमान में वादीगण का उक्त जमीन पर खाता कब्जा नही है। यह जमीन अवाप्ति अधिकारी डूंगरपुर द्वारा जन हितार्थ अवाप्त की गई है तथा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम डूंगरपुर प्रतिवादी संख्या 3 को आम जनता की सुविधा के लिये बस स्टेण्ड बनाने हेतु प्रतिवादी नम्बर 3 के खाते नामान्तरित हुई है। वादीगण को भूमि अवाप्त किये जाने

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा पूर्ण अवसर सुनवाई का दिया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय में वादी नम्बर 5 ने ही रिट याचिका दायर की थी तद्नुसार वादी नंबर पॉच द्वारा स्थगन आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त किया था, रिट याचिका सभी वादीगण द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर नही की गई थी वादी संख्या 5 की भूमि को छोडकर बाकी पूरे खसरे की भूमि पर प्रतिवादी नम्बर 3 का कब्जा खाता एवं नामान्तकरण है जो दिनांक 10.04.87 से निरन्तर प्रतिवादी नं. 3 का रहा है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा वादीगण के भूमि अवाप्ति के विषय मे एतराजो एवं विवादों को सुनने के बाद भूमि अवाप्ति कार्यवाही नियमानुसार की गई है। नामान्तकरण को निरस्त किये जाने हेतु वादीगण द्वारा नामान्तरण के विरूद्ध अपील पेश की जा सकती है। यह वाद न्यायालय द्वारा पौषणीय नही है। वादीगण को लेण्ड एक्वीजेशन एक्ट के प्रावधानों के तहत सुनवायी किये जाने के बाद जमीन का नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 3 के नाम वैद्य रूप से किया गया है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादीगण के विरूद्ध की गई लेण्ड एक्वीजेशन की कार्यवाही को सक्षम न्यायालय में चुनौति दे सकते है न कि नामान्तरण को। वाद न्यायालय आपकी सुनवाई क्षेत्राधिकार से बाहर हो दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार होने से वाद खारीज किये जाने योग्य है अतः वादीगण का वाद मय खर्चा खारीज किये जाने का निवेदन किया गया।

उभयपक्ष अभिवचनो के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 14.07.1998 कों निम्नांकित तनकीयात कायम की रूपी :–

1. क्या विवादित भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 का कब्जा है ?

..... प्रतिवादी नम्बर 3

2. क्या खाते के खसरा नम्बर 1013/2 बीघा चार बीघा दो बिस्वा वादीगण के स्वामित्व का जन हितार्थ विधिवत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस स्टेण्ड के लिये अवाप्त की जाकर नामान्तरण की गई है ?

..... **प्रतिवादी**

3. क्या नामान्तरकरण खसरा नम्बर 1013/2 का अवैध है कि स्वयं भूमि अवाप्ति अधिकारी नामान्तरकरण तस्दीक के आदेश देने सक्षम नही है, न ही नामान्तकरण तस्दीक करने के पूर्व खातेदारों को नोटिस दिया गया न ही सुनवाई का अवसर दिया ?

वादी

4. अनुतोष ?

वादीगण द्वारा दिनांक 04.04.2025 को प्रार्थना पत्र पेश कर अतिरिक्त संशोधित तनकीयात कायम किये जाने निवेदन किया गया जिस पर निम्न प्रकार से अतिरिक्त संशोधित तनकीयात कायम की गई :–

1. क्या वादग्रस्त खसरा नम्बर 1013/2 का भूमि अवाप्ति अधिकारी डूंगरपुर ने राज्य सरकार के एक अनियमित आदेशानुसार अवाप्त करने की कार्यवाही भूमि अवाप्ति अधिनियम की विविध धाराओं का उल्लंघन कर मसनवी कार्यवाही कर विपक्षी संख्या 3 के पक्ष में नामान्तकरण करने के आदेश भूमि अवाप्ति अधिकारी ने दिनांक 09.04.1987 को वादीगण की आपत्ति को सुने बगैर उनकी अदम मौजुदगी में पारित किये ?

ब जिम्मे वादीगण

2. क्या इस वाद को सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नही है ?

ब जिम्मे प्रतिवादीगण

इस मामले मे वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में PW1–परमानन्द, PW2–दयाराम, PW3– मनसुखलाल, PW4– लोकेश गांधी, एवं अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में PW5–दिनेश चन्द्र चौबीसा, PW6–अशोक उपाध्याय, PW7–जगदीश उपाध्याय एवं PW1–परमानन्द के साक्ष्य शपथ पत्र पेश कर परीक्षित करवाया गया तथा प्रलेखिय साक्ष्य में नामान्तरणकरण प्रदर्श–1, खतौती 2045–48 प्रदर्श–2, खतौनी 2041–44 प्रदर्श–3, नक्शा ट्रेस दिनांक 28.07.97 प्रदर्श–4, धारा 4 का अखबार में नोटिफिकेशन प्रदर्श 5, 6, 7 है। सुप्रीम कोर्ट पत्रावली में आया नोटिस दिनांक 22.03.2002 प्रदर्श–8, लक्ष्मणलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एस.बी.सिविल रिट पिटिशन नम्बर 2154/2001 का आदेश 8.7.2014 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–9 प्रदर्शित करवाए। प्रतिवादी संख्या 3 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने अपने मौखिक साक्ष्य में डी डब्ल्यू–1 श्री तस्ददुक हुसैन व डी डब्ल्यु–2 के रूप में श्री रणजीत सिंह राठौड के साक्ष्य शपथ पत्र पेश कर परीक्षित करवाया गया।

उभय पक्ष की बहस अन्तिम सूनी गई और पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। दौराने बहस योग्य अधिवक्ता वादीगण ने तर्क दिया कि वादीगण का एक खाता नम्बर 52 शिरकती कस्बा डूंगरपुर में स्थित है जिसमें मूल खसरा नम्बर 1013 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा था। खसरा नंम्बर 1013/2 को भूमि अवाप्ति अधिकारी डूंगरपुर द्वारा अवाप्त करने की कार्यवाही भूमि अवाप्ति अधिनियम की विविध धाराओं का

उल्लंघन कर वादीगण को सूने बगैर उनकी उनकी अदम मौजुदगी में नामान्तकरण करने के आदेश भूमि अवाप्ति अधिकारी प्रतिवादी/विपक्षी संख्या 2 ने 09.04.1987 पारित किये। उक्त अवाप्ति कार्यवाही एवं नामान्तरण नियमों एवं कानून की अवहैलना कर जारी किया गया है। जिसमें विवादित भूमि की अवाप्ति कार्यवाही में अवाप्ति अधिकारी ने धारा 4 (5) का प्रारम्भिक नोटिस नये अवाप्ति कानून 1981 आने के पूर्व दिनांक 1.5.80 को जारी किया जबकि इसी कार्यवाही में धारा 6 घोषणा का नोटिस दिनांक 19.03.87 को जारी किया जो धारा 4(5) के नोटिस के दो वर्ष बाद जारी होने से कानूनन शुन्य एवं निष्प्रभावी है। नये अवाप्ति कानून 1981 की धारा 5(2) में यह प्रावधान है कि धारा 4(5) के नोटिस के 2 वर्ष के अन्दर धारा 6 का नोटिस जारी होना चाहिए। वादीगण मे से कुछ वादीगण ने अवाप्ति की कार्यवाही की वैद्यता नियमितता आदि के प्रश्न को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर स्थगन आदेश राजस्थान राज्य प्रतिवादी नं. 1 के विरूद्ध प्राप्त किये एवं उक्त मामले में एक वादी लक्ष्मणलाल वगैरह द्वारा माननीय उच्चतम न्यायलय में प्रस्तुत सिविल अपील नम्बर 6392/2003 में दिनांक 01.03.2013 को पारित निर्णय में विवादित अवाप्ति नोटिफिकेशन दिनांक 1.5.1980 एवं नोटिफिकेशन दिनांक 19.03.1987 को गैरकानूनी बताया है,माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की कम सं. 32 एवं 33 में अंकन किया कि

32. Having regard to clear and unambiguous mandate of Section 5(2) of the 1981 Amendment Act that no declaration under Section 6 of the 1953 Act in respect of any land for the acquisition of which notice under Section 4(5) has been given before the commencement of the 1981 Amendment Act shall be made after the expiry of two years from the commencement of the 1981 Amendment Act, it has to be held and we hold that preliminary notification dated 01.05.1980, which was followed by notice under Section 4(5) before the commencement of the 1981 Amendment Act, has lapsed and does not survive since declaration under Section 6 has been made much beyond the time limit prescribed in law.

33. Civil appeal is, accordingly, allowed. The impugned orders are set aside. It is declared that preliminary notification dated 01.05.1980 has lapsed and the declaration made on 19.03.1987 is legally unsustainable. If possession of the subject land has been taken from the appellants, the same shall be restored to them without any delay. No orders as to costs इस प्रकार भूमि की अवाप्ति कार्यवाही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गैरकानुनी घोषित कर दी है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार लक्ष्मणलाल के वारिसानों के नाम भूमि वापस खाते में डाली गई है। एवं वादीगण का वाद माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से भिन्न नही होने से वादीगण की अवाप्त भूमि में वादीगण अपने अपने हिस्से की भूमि वापस प्राप्त करने के अधिकारी है वादीगण द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि रोडवेज बस स्टेण्ड के लिए अवाप्त की गई उक्त भूमि रोडवेज के किसी उपयोग में नही आ रही है एवं वर्तमान में खाली पडी हुई है एवं कुछ भूमि पेट्रोल पम्प को किराए दे रखी है जहॉ पेट्रोल पम्प संचालित है। ऐसी परिस्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जाकर तहसीलदार डूंगरपुर के आदेश संख्या रेवेन्यु 87/551–53 दिनांक 09.04.87 से वादीगण के खाते नम्बर 1013/2 का नामान्तरण प्रतिवादी नम्बर 3 के पक्ष में खोला गया है को निरस्त किया जाकर भूमि पूर्व की तरह वादीगण के खाते डाली जाकर भूमि का कब्जा वादीगण को वापस दिलाए जाने का निवेदन किया इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 3 का तर्क रहा कि उक्त मामले में वादीगण की ओर से माननीय न्यायालय में वाद बाबत् इश्तकरार कि जो नामान्तकरण तारीख 10.04.87 को किया, अवैध है एवं निषेधाज्ञा जारी करने दरख्वास्त अन्तर्गत धारा 91 राज. टिनेंसी एक्ट के तहत पेश कर नामान्तकरण सं. 24 दिनांक 10.04.87 को अवैध घोषित किए जाने, नामान्तकरण को निरस्त कर प्रतिवादी सं. 3 के नाम को हटाए जाने एवं निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाए कि आयन्दा अनियमित कार्यवाही नही की जाए, न दखल भूमि पर किया जाने बाबत् अनुतोष चाहने हेतू प्रस्तुत किया है जबकि वाद प्रस्तुति की दिनांक को कथित आराजियात न तो वादीगण के खाते में थी, न ही वादीगण का कब्जा था, कथित आराजियात के अवाप्ति के पश्चात नामान्तकरण प्रतिवादी सं. 3 के नाम खुल गया था एवं प्रतिवादी सं. 3 तब से उक्त आराजियात पर काबीज है। कथित आराजियात भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम के प्रावधानो का पूर्णरूप से पालन करते हुए खाताधारको को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिए जाने एवं विधिक कार्यवाहियो को पूर्ण करने के पश्चात रोडवेज बस स्टेण्ड हेतू जनहितार्थ अवाप्त कर रोडवेज के पक्ष में नामान्तरित की गई है और तब से प्रतिवादी सं. 3 द्वारा बिना किसी रोकटोक के जनहितार्थ बस स्टेण्ड के रूप में रोडवेज बसो के आवागमन वगैरह के रूप में उपयोग किया जा रहा है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद को माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय ने नामान्करण के विरूद्व प्रस्तुत अपील मानकर दिनांक 26.06.1990 के द्वारा खरिज कर दी थी एवं उक्त आदेश के विरूद्व वादीगण ने एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत की जो दिनांक 31.07.1990 को न्यायालय के सुनवाई योग्य नही मानकर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतू लौटा दी। इसके पश्चात

वादीगण द्वारा अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील प्रस्तुत किए जाने पर इनके द्वारा भी अपने आदेश दिनांक 27.08.1990 के द्वारा अपील सूनने का अधिकार नही होने से लौटा थी। वादीगण द्वारा को राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.07.1990 के विरूद्व माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर, मुकाम उदयपुर में निगरानी प्रस्तुत की जिसमें माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 27.03.1992 को पारित निर्णय के अनुसार पत्रावली को पुनः उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर को यह निदेर्शित करते हुए प्रतिप्रेषित की वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का प्रतिवादी से जवाब दावा लेकर तनकीयात कायम कर दोनो पक्षकारान की दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य दर्ज कर गुणावगुण पर निस्तारण करे। इसके पश्चात उक्त वाद के लम्बित रहने के दौरान वादीगण की ओर से उक्त भूमि अवाप्ति को लेकर माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में की सिंगल बैंच में रिट पीटीशन प्रस्तुत की जो कि दिनांक 11.05.1999 को निरस्त की गई इसके पश्चात माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में की डबल बैंच में सिविल स्पेशल अपील प्रस्तुत की जो कि दिनांक 11.01.2002 को निरस्त की गई। उक्त मामले में लक्ष्मणलाल की ओर से माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में प्रस्तुत रिट याचिका के माध्यम से उसकी अवाप्त भूमि पर कब्जा नही किए जाने बाबत् स्थगन आदेश पारित होने से प्रतिवादी सं. 3 रोडवेज द्वारा लक्ष्मण लाल की अवाप्त भूमि पर कब्जा प्राप्त नही किया था एवं याचिकाकर्ता लक्ष्मणलाल एवं मनोहरलाल की मृत्यु हो जाने से उनके विधिक वारिसान द्वारा माननीय उच्चतम न्यायलय में प्रस्तुत सिविल अपील नम्बर 6392/2003 में दिनांक 01.03.2013 को पारित निर्णय में सिविल अपील स्वीकार करते हुए आदेश पारित कर निर्णय की कम सं. 33 में अंकन किया कि–Civil appeal is, accordingly, allowed. The impugned orders are set aside. It is declared that preliminary notification dated 01.05.1980 has lapsed and the declaration made on 19.03.1987 is legally unsustainable. If possession of the subject land has been taken from the appellants, the same shall be restored to them without any delay. No orders as to costs इस प्रकार अपीलान्टगण लक्ष्मणलाल एवं मनोहरलाल की की अवाप्त भूमि का कब्जा प्रतिवादी सं. 3 द्वारा नही लिए जाने से उनके हिस्से की अवाप्त भूमि वापस सिपूर्द कर गई एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय में वादीगण को अवाप्त की गई भूमि का कब्जा दिए जाने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नही है एवं न ही वादीगण की ओर से माननीय उच्चतम न्यायलय में उक्त अवाप्त भूमि को लेकर कोई अपील प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में वादीगण माननीय उच्चतम न्यायलय द्वारा पारित उक्त निर्णय के आधार पर भूमि का कब्जा एवं आवाप्त भूमि का नामान्तकरण वापस उनके पक्ष में कराने के अधिकारी नही है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अवाप्त भूमि का नामान्तकरण प्रतिवादी सं. 3 रोडवेज के पक्ष में खुल जाने के पश्चात उक्त अवाप्त कार्यवाही को निरस्त किए जाने एवं नामान्तकरण को निरस्त किए जाने का क्षैत्राधिकार एवं उक्त आशय के वाद को सुनवाई को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नही है। उक्त प्रकार की कार्यवाही को सक्षम न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है। उक्त मामले में वादीगण की ओर से प्रस्तुत गवाहान द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र में वादपत्र में अंकित कथनो से हटकर एवं भिन्न तथ्य प्रस्तुत किए है। वादीगण से की गई जिरह में उनके कथनो में काफी विरोधाभास है। पत्रावली में उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

प्रतिवादी सं. 3 की ओर से निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए :–

1- (Citation - 2016(1) Civil Times (SC) 213] (SUPREME COURT)
HON'BLE MR. JUSTICE RANJAN GOGO!
HON'BLE MR. JUSTICE PRAFULLA C. PANT
State of Haryana vs. Eros City Developers Pvt. Ltd. & Ors.
Civil Appeal No 354, 355 of 2016, decided on 19th Jan., 2016

Land Acquisition Act, 1894-Secs. 4 & 6-Land Acquisition-Doctrine of promissory estoppel and legitimate expectation applied-Notification and award quashed by the High Court-Purpose to acquire was for benefit of public-Held Acquisition of land was not illegal and order impugned is liable to be set aside. (Paras 15 & 16)

2 -: AIR 1996 SUPREME COURT 523 K. RAMASWAMY AND B. N. KIRPAL, JJ.
Spl. Leave Petn. (C) No. 23740 of 1995, D/-6-11-1995.
Laxmi Chand and others, Petitioners v. Gram Panchayat, Kararia arid others, Respondents.

Civil P. C.(5 of 1908), S.9 - Civil Court --Jurisdiction -Scope Land Acquisition Act Cases arising under Jurisdiction of Civil Court to take cognisance thereof -Is Barred .(Para 3)

3 -: (2008(1) RRT 174
BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER
SHRI N.K. JAIN: MEMBER
Mahadev & Ors. vs. Rodmal & Ors.
Revision No. 8311/Ajmer of 2006, decided on 13th July, 2007.

Code of Civil Procedure, 1908-Order 7 Rule 11 & Sec. 151-Rejectio of suit-Trial Court rejected the application-Revision-Notification for acqu sition of land Issued on 2.6.2006 & non-petitioner No.1 filed the amended su on 21.8.2006-Amended suit was not maintainable maintainable a after pulication of notifica tion-Held, Order passed by S.D.O. Is not justified & set aside & suit is re jected-Non-petitioner No.1 is free to get any other relief from Civil Court. (Paras 9,10,11,12,13)

4 -: [Citation: 2014(3) DNJ (Raj.) 881) RAJASTHAN HIGH COURT
PRESENT:
HON'BLE MR. CHIEF JUSTICE AMITAVA ROY HON'BLE MR. JUSTICE VIJAY BISHNOI
[D.B. Civil Special Appeal (Writ) Nos. 125, 204 of 2004; decided on 16.4.2014]
Ganpat Lal & Ors. Appellants Versus State of Rajasthan & Ors. Respondents

Rajasthan Tenancy Act, 1955-Secs. 88 & 188-Suit for declaration and permanent injunction-Suit decreed-Board of Revenue set aside the judgments and decree-Acquisition proceedings for Khasra Nos. 125 and 123 completed on 16.7.1980 and mutation opened-Acquisition proceedings become final-Original Khatoni Ex.P-1 not produced-It is not borne out that who issued the Khatoni-No corresponding entry in the revenue record-No cogent evidence produced to prove that father of the appellants was the Khatedar of the land-No sufficient evidence for grant of Khatedari rights-Suit was not maintainable after acquisition of the land-Held, No merit in the appeals and dismissed. [Paras 16, 17 and 18]

5 :– राजस्थान काश्तकारी (टिनेन्सी) अधिनियम 1955 की धारा 63 काश्तकारी अधिकार का कब अवसान होगा के उल्लेख बाबत् पृष्ठ की फोटो कॉपी अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गयी।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का पुनः ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विरचित किए गए तनकीयात के सुचारू रूप से विनिश्चय के लिए पत्रावली पर उपलब्ध करवाई गई साक्ष्य का उल्लेख निम्न प्रकार से है:–

वादीगण की ओर से गवाह PW1–परमानन्द, PW2–दयाराम, PW3–मनसुखलाल, PW4–लोकेश गांधी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश कर प्रस्तुत शपथ पत्र में बयान लेखबद्ध किये कि वादीगण एक संयुक्त खाता नम्बर 52 कस्बा डूंगरपुर में जिसमें खसरा नम्बर 1013/2 चार बिघा 2 बिस्वा भूमि है। उक्त भूमि की कुछ भूमि वादीगण के कब्जे में है तथा कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के कब्जे में है। इस सम्पूर्ण भूमि की रूपान्तरण राशि सक्षम अधिकारी में जमा हो चुकि है। विवादग्रस्त खसरा नम्बर 1013/2 को भूमि अवाप्ति अधिकारी डूंगरपुर ने राज्य सरकार के एक अनियमित आदेश के अन्तर्गत अवाप्त करने की कार्यवाही भूमि अवाप्ति अधिनियम की विविध धाराओं के उल्लंघन की मनसवी कार्यवाही कर भूमि पर विपक्षी संख्या 3 को कब्जा दिलाने अथवा उनके नाम नामान्तकरण करने के आदेश भूमि अवाप्ति अधिकारी प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनांक 09.04.87 को पारीत किये। उक्त आदेश वादीगण की आपत्ति को सुने बगैर अदम मौजुदगी में दिये गये। उपखण्ड अधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी प्रतिवादी संख्या 2 के आदेश नम्बर 3246–48 रे. 87/तारीख 09.04.87 पर तहसीलदार डूंगरपुर के आदेश संख्या रेवेन्यु 87/551–53 दिनांक 09.04.87 से वादीगण के खाता नम्बर 1013/2 का नामान्तकरण प्रतिवादी नम्बर 3 के पक्ष में खोला गया है। उक्त अवाप्ति कार्यवाही एवं नामान्तकरण नियमों एवं कानून की अवहैलना कर जारी किया गया है। जिसमें विवादित भूमि की अवाप्ति कार्यवाही में अवाप्ति अधिकारी ने धारा 4 (5) का प्रारम्भिक नोटिस नये अवाप्ति कानून 1981 आने के पूर्व दिनांक 01.05.80 को जारी किया जबकि इसी कार्यवाही में धारा 6 घोषणा का नोटिस दिनांक 19.03.87 को जारी किया जो धारा 4(5) के नोटिस के दो वर्ष बाद जारी होने से कानूनन शुन्य एवं निष्प्रभावी है। नये अवाप्ति कानून 1981 की धारा 5(2) में यह प्रावधान है कि धारा 4(5) के नोटिस के 2 वर्ष के अन्दर धारा 6 का नोटिस जारी होना चाहिए जबकि इस प्रकरण में 7 वर्ष पश्चात् जारी होने से सम्पूर्ण अवाप्ति कार्यवाही त्रुटि पूर्ण है। सभी वादीगण जिसमें लक्ष्मणलाल एक वादी था जो हम वादीगण के साथ खाते में संयुक्त खातेदार था और उसकी भूमि भी हम वादीगण की भूमि के साथ इन्ही त्रुटि पूर्ण अवाप्ति कार्यवाही के तहत अवाप्त कर प्रतिवादी संख्या 3 के नाम खाते में दर्ज की गई थी। जिस एक

वादी लक्ष्मणलाल के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय आफ इण्डिया नई दिल्ली में सिविल अपील नम्बर 6392/2003 में दिनांक 01.03.2013 को निर्णय पारीत कर विवादित अवाप्ति नोटिफिकेशन दिनांक 1.5.1980 एवं नोटिफिकेशन दिनांक 19.03.1987 को गैरकानूनी बताया है तथा हम वादीगण की भूमि भी इन्ही नोटिफिकेशनों के आधार पर अवाप्त कर प्रतिवादी संख्या 3 के नाम खाते दर्ज की गई है। वादीगण की भूमि की अवाप्ति कार्यवाही उच्चतम न्यायालय द्वारा गैरकानुनी घोषित कर दी गई है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर हम वादी मे से लक्ष्मणलाल के वारिसानों के नाम भूमि वापस खाते डाली गई है। ऐसी परिस्थिति में वादीगण का वाद ड्रिकी किया जाकर तहसीलदार डूंगरपुर के आदेश संख्या रेवेन्यु 87/551–53 दिनांक 09.04.87 से वादीगण के खाते नम्बर 1013/2 का नामान्तकरण प्रतिवादी नम्बर 3 के पक्ष में खोला गया है को निरस्त किया जाकर भूमि पूर्व की तरह वादीगण के खाते डाली जाकर भूमि का कब्जा वादीगण को वापस दिलाया जाये। विवादित अधिक्तर भूमि आज भी मौके पर खुली एवं खाली पडी हुई हैं जिस पर वादीगण को काबीज करवाया जायें तथा कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के कब्जे में है तथा कुछ भाग पर प्रतिवादी संख्या 3 ने इण्डियन ऑयल पम्प लगवा रखा है पम्प को हटवाकर भूमि की नप्ती कर खाली करवा भूमि का कब्जा वादीगण दिलवाया जाये। तथा कब्जा वादीगण को प्राप्त होने बाद प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि वह वादीगण को भूमि से बैदखल नही करें, उपयोग उपभोग में बाधा नही पहूँचायें।

गवाह PW1 परमानन्द से की गई जिरह में गवाह ने बयान किया कि यह कहना सही है कि EX-1 नामान्तरण EX-2 और 3 मैं मेरा नाम चढा हुआ नहीं है अजखूद कहा कि मेरे पिता वैलजी का नाम है जिनका देहान्त हो गया है। मेरे पिताजी की मृत्यु तक हम साथ ही निवास करते थे। यह कहना सही है कि पिता के देहान्त के बाद कायम मुकाम होने पर दावे की जानकारी हुई थी। यह कहना सही है कि हमारे पिताजी की जमीन पर भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा कार्यवाही की थी जो उपखण्ड अधिकारी होते है या कोई ओर मुझे जानकारी नहीं है। जब अवाप्ति की कार्यवाही चल रही थी तब मेरे पिताजी ने आपत्ति की थी। यह कहना सही है कि आपत्ति संबंधित दस्तावेज पेश नहीं किये है। पिताजी ने दावा कौनसे सन् में किया था पता नहीं । जिस जमीन की अवाप्ति की गई है उसके जिस हिस्से पर हमारा कब्जा था उसके दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। यह कहना सही है कि अवाप्त होने के बाद रोडवेज ने अपना कब्जा कर लिया था और नामान्तरण की खूल गया था। इस जमीन पर बस स्टैण्ड़ का निर्माण हुआ हो यह गलत है। अजखुद कहॉ कि कुछ भाग पर पेट्रोल पम्प है। इस जमीन पर रोड़वेज की बसे आती जाती होगी लेकिन खडी नहीं रहती। रात को बसे खडी रहती हो तो इसकी जानकारी नहीं है लेकिन रात को बसे डिपो में जाती है। यह कहना सही है कि बस स्टैण्ड पर सुलभ काम्प्लेक्स है लेकिन इस जमीन पर है पता नही। रोडवेज के नाम से नामान्तरण खुलने पर नामान्तरण खारीज कराने की कोई अपील नही की गई बल्कि दावा किया था। यह कहना सही है कि नामान्तकरण निरस्ती बाबत सिविल कोर्ट में भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह कहना सही है कि हमने दावा नामान्तकरण को अवैध घोषित कराने के लिये किया है अजखुद नामान्तरण निरस्त करवाने के लिये भी किया है। यह कहना सही है कि दावे में नामान्तकरण को निरस्त किये जाने बाबत अनुतोष नहीं चाहा फिर कहा कि निरस्त शब्द लिखा हुआ है। यह मेरी जानकारी में नही है कि मेरे पिताजी ने उच्च न्यायालय तथा डबल बैंच में अपील की हो और खारीज हो गई हो। यह मेरी जानकारी में नही है कि उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्व मेरे पिताजी ने कोई अपील नहीं की यह कहना सही है कि विवादित जमीन पर अभी रोडवेज का कब्जा है। यह मेरी जानकारी में नहीं है कि रोडवेज द्वारा कब्जा लिये जाने के समय मेरे पिता ने आपत्ति की हो। यह मुझे पता नहीं है अवाप्ति की कार्यवाही में मुआवजा दिलाये जाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया हो। यह मुझे पता नहीं कि भूमि अवाप्ति अधिकारी के न्यायालय में ही यह वाद पेश किया है। यह मेरी जानकारी में नही है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी SDO साहब ही होते है। EX-9 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश में खातेदारो को कब्जा वापस दिलाये जाने बावत अंकित नहीं किया है अजखुद कहा कि अवाप्ति की कार्यवाही को गलत बताया है। यह मेरी जानकारी में नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में नामान्तरण को खारीज किये जाने बाबत कोई उल्लेख नहीं है। कलम संख्या 5, 6, 7 का वाद पत्र में कही हवाला नही दिया है। यह कहना सही है कि लक्ष्मण की जगीन पर रोडवेज ने कब्जा नही किया था।

उक्त गवाह से तहसीलदार डूंगरपुर द्वारा की गई जिरह में बयान किया कि इस विवादित भूमि पर सुलभ काम्प्लेक्स रोडवेज का बना हुआ है। बाकी जगीन खाली है जिस पर रोडवेज बसे आना जाना करती है खडी नहीं रहती है। यह बात सही है कि भूमि पर हमारा कब्जा नहीं होकर खाली पडी है।

गवाह PW2 दयाराम उपाध्याय से की गई जिरह में गवाह ने बयान किया कि यह सही है कि खाते की नकलो में नाम नहीं है। दावा मेरे पिताजी ने किया था। दावा पेश करते समय खाते में मेरे पिताजी का नाम नहीं था उससे पहले नाम था उस खाते को अवाप्त कर रोडवेज के खाते हो गयी है। भूमि अवाप्ति होने के बाद हमने इसके खिलाफ कार्यवाही की थी। हमे हमारी भूमि वापस दी जावें। हमें मुआवजा भी नहीं मिला है। सन् 1981 में मुआवजे की मांग की थी जो नहीं मिला अजखूद कहा कि 34 वर्ष बाद मुआवजें का कोई औचित्य नहीं है। यह कहना सही है कि दावा मेरे पिताजी ने कौन से सन् में किया था मुझे पता नहीं। मेरे पिताजी द्वारा दावा न्यायालय में किया उसकी जानकारी मुझे 1987 में हुई थी। विवादीत जमीन का विभाजन नहीं हुआ था। इसमें आठ दावेदार थे कौनसी जमीन किसके हिस्सें की है यह नक्शा ट्रेस में नहीं है न ही इससे संबंधित कोई दस्तावेज पेश किया है। यह कहना सही है कि रोड़वेज को भूमि अवाप्त होने के बाद रोडवेज का ही कब्जा है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि अवाप्त करने के विरूद्व उच्च न्यायालय में रीट दायर की थी जो वर्ष 2003 में खारीज हुई जिसके विरूद्ध डबल बैंच में अपील की थी जो भी खारीज हो गई थी। इसके विरूद्व माननीय उच्चतम न्यायालय में मैने कोई अपील नहीं की थी अजखूद कहा कि हमारे भागीदार ने सुप्रीम कोर्ट मे अपील की थी जो स्वीकार की गयी तथा माननीय न्यायालय के 2013 के फैसले मे अवाप्ति को अवैध ठहराया गया है। यह कहना गलत है कि अवाप्त शुदा जमीन पर रोडवेज की बसें आती जाती है तथा खडी रहती है। यह कहना सही है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी SDO सा0 थे तथा मेरे पिताजी ने भूमि अवाप्ति अधिकारी के विरूद्व दावा SDM कोर्ट में किया था। यह कहना सही है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी के विरूद्व अवाप्ति की कार्यवाही को निरस्त कराने के लिए सिविल न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की। नामान्तरण निरस्त कराने की कार्यवाही सिविल न्यायालय में नहीं की है। विवादित भूमि में मेरे हिस्से में कितनी थी और क्षैत्रफल शपथ पत्र में अंकित नहीं किया है। यह कहना सही है कि अवाप्ति जमीन पर रोडवेज द्वारा कब्जा रोकने के लिए हमने कोई कार्यवाही नहीं की अजखूद कहा कि हमने इसे रोकने के लिए कोर्ट में रीट दायर कर दी थी। यह मेरी जानकारी मे नहीं है कि दावा सुनने का अधिकार SDO सा0 को है अथवा नहीं। यह मेरी जानकारी में नहीं है कि भूमि अवाप्ति की कार्यवाही करने वाले अधिकारी के न्यायालय में ही यह दावा पेश किया है। यह मेरी जानकारी में नहीं है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश पारित किया वह लक्ष्मणलाल व उसकी भूमि का कब्जा दिलाये जाने बाबत हो। अजखूद कहा कि पूरे खसरा नम्बर के संबंध में आदेश है। यह सही है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित में विवादित जमीन के खातेदारों को कब्जा वापस दिलाये जाने के आदेश नहीं किये है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने नामान्तरण को निरस्त करने का नही कहा है। अजखूद कहॉ कि माननीय न्यायालय ने अवाप्ति की कार्यवाही को ही अवैध घोषित कर दिया है। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा शपथ पत्र की कलम संख्या 5, 6, 7 में अंकित तथ्यो का हवाला नहीं दिया है क्योंकि ये तथ्य सन् 2013 में नवीन रूप से प्रकट हुए है। यह कहना सही है कि नवीन तथ्यों के संबंध मे संशोधित दावा पेश नही किया है। यह कहना सही है कि भूमि अवाप्त होने के बाद हमारे अधिकार समाप्त हो गये थे।

उक्त गवाह से तहसीलदार डूंगरपुर द्वारा की गई जिरह में बयान किया कि यह भूमि बस स्टैण्ड़ (रोड़वेज) के पास होकर उससे लगी हुई है। इस भूमि पर सुलभ कॉम्प्लेक्स एवं पेट्रोल पम्प बना हुआ है। पेट्रोल पम्प हमारा नहीं है तथा रोड़वेज ने उस भूमि को किराये पर दे रखा है। यह सही है कि इस भूमि पर हमारा कब्जा नहीं है जबसें अवाप्ति की कार्यवाही हो गयी तब से रोड़वेज का ही कब्जा होकर उनके उपयोग मे आ रही है। हमने दावा किया है इसके अलावा कब्जा लेने के कोई प्रयास नहीं किये। विवादित भूमि का मुआवजा हमें नहीं मिला है।

गवाह PW3 मनसुखलाल से की गई जिरह में गवाह ने बयान किया कि जिस जमीन के बारे में दावा किया है उसमे मेरा नाम खाते में नही है पिताजी का नाम दर्ज है। यह कहना सही है कि दावा किये जाने के समय मेरे पिताजी जिन्दा थे। यह कहना सही है कि दावा मेरे पिताजी ने नही किया। मेरे पिताजी के माध्यम से मैने किया। यह कहना गलत है कि मेरे पिताजी ने मुझे अधिकृत नहीं किया। यह कहना सही है कि विवादित जमीन का दावा करने मुझे अधिकृत किया रिकार्ड में नहीं है। यह कहना सही है कि भूमि अवाप्ति के बाद रोडवेज के खाते मे चढ गई हो, और कब्जा भी रोड़वेज के पास है पर अजखुद कहा कि जमीन खाली पडी हुई तथा पेट्रोल पम्प लगा हुआ है तथा किराये पर दिया हुआ है पेट्रोल पम्प किसको किराये पर दे रखा है पता मुझे नहीं। यह कहना सही है कि नामान्तकरण रोडवेज के नाम होने से रोडवेज के खिलाफ नामान्तरण खारीज अपील नही की है दावा चल रहा है। यह कहना सही है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी SDO साहब थे। यह दावा SDO कोर्ट में ही चल रहा है। यह कहना सही है कि विवादित जमीन पर हमारा कोनसे हिस्से में कब्जा था परन्तु आठवा हिस्से में कब्जा था। लक्ष्मणलाल पुत्र श्री सज्जनलाल के पीछे हिस्सा था। इस बाबत कोई दस्तावेज पेश नही किया है। इस संबंध मे हाईकोर्ट में रीट पेश की थी।

हाईकोर्ट में सिंगल बैंच व डबल बैच दोनो से खारीज हुई थी। यह कहना सही है कि हाईकोर्ट से रिट खारीज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में हमने अपील नहीं की। यह कहना गलत है कि विवादित जमीन पर गाडिया आती जाती रहती हो। यह कहना भी गलत है कि विवादित जमीन पर रोडवेज की गाडिया खडी रहती हो । यह कहना सही है कि नामान्तकरण खारीज कराने सिविल कोर्ट में भी अपील नहीं की है। यह कहना सही भूमि अवाप्ति होने के बाद रोडवेज का कब्जा रोकने की कोई कार्यवाही नही की। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की कम संख्या 5, 6, 7 में दावे मे वर्णित तथ्यों के अलावा कथन वर्णित किया है। यह कहना सही है कि नये तथ्यों को लेकर कोई संशोधित दावा पेश नहीं किया है। यह कहना सही है कि भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अवाप्त की गई। यह कहना गलत है कि जमीन का मुआवजा बढ जाने से हमने झुठा बयान दिये है। अजखुद कहा कि इस जमीन का मुआवजा एवं बदले जमीन भी नहीं दी है। यह सही है कि दावा पेश किये जाने वक्त जमीन मेरे खाते में नही थी रोडवेज के खाते चली गई।

उक्त गवाह से पेराकार सरकार द्वारा की गई जिरह में बयान किया कि इस विवादित भूमि मौके पर खाली है इस भूमि मे कुछ भाग पर रोडवेज ने पेट्रोल पम्प बनाकर अभी किसी को किराये पर दे रखा है। तथा सुलभ काम्प्लेक्स बना हुआ है। जब से अवाप्ति की कार्यवाही हुई है तब से रोड़वेज कब्जा ले लिया है तथा रोडवेज का ही कब्जा है हमारा नहीं है। यह बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय की डबल बैंच मे हम इसका प्रकरण हमारे खिलाफ फैसल हो चुका है इसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील नही की है।

गवाह PW4 लोकेश गांधी से की गई जिरह में गवाह ने बयान किया कि जिस खाते की भूमि अवाप्त की गई है उसमें मेरा नाम उस खाते में दर्ज नही है। मेरे पिताजी का नाम दर्ज था। यह कहना सही है कि उक्त भूमि अवाप्त होने के बाद खाते में रोडवेज के नाम दर्ज हुआ, खातेदारान का नाम हट गया था। यह कहना सही है कि जब दावा किया तब जमीन रोडवेज के खाते में थी अजखुद कहा कि उक्त भूमि का मुआवजा नही दिया जाने से मेरे पिताजी को दावा करना पडा। उक्त दावा मेरे पिताजी द्वारा किया गया जो मेरी जानकारी में था। यह कहना सही है कि उक्त अवाप्त की गयी भूमि संयुक्त खाते में थी जिसमें हमारा भी हिस्सा था। यह कहना गलत है कि हमारे हिस्से की जमीन नक्षा ट्रेस में दर्शित नही कर रखी हो। यह कहना गलत है कि अवाप्त किए गए जमीन के नक्शे में हमारा कब्जा दर्शित नही हो बल्कि नक्षा ट्रेस में हमारी जमीन के जिस हिस्से पर हमारा कब्जा था उसका अलग से नाम इन्द्राज कर रखा है। यह कहना गलत है कि रोडवेज ने भूमि अवाप्त करने के बाद बस स्टेण्ड निर्मित किया हो, यह कहना भी गलत है कि रोडवेज की बसों का आवागन नही होता है, यह कहना भी गलत है कि उक्त विवादित भूमि पर बसे रात्री में खडी रहती हो, अजखुद कहा कि अवाप्त की जमीन को पेट्रोल पम्प वालो को किराए पर दे दिया है। यह कहना सही है कि अवाप्त भूमि पर सुलभ कॉम्पलेक्स बनाया गया है। यह कहना गलत है कि उक्त भूमि अवाप्त भूमि अवाप्त होने बाद रोडवेज के कब्जे में होने के बाद मेरे पिताजी व अन्य खातेदारान ने विरोध किया था। भूमि अवाप्ति अधिकारी एसडीओं सा. थे अथवा कौन थे मेरी जानकारी में नही है। यह कहना सही है कि उक्त मामले में एसडीओं कोर्ट में दावा करते समय भूमि अवाप्ति अधिकारी को प्रतिवादी पक्षकार बनाया था। यह मेरी जानकारी में नही है कि उक्त जो दावा किया गया है वह उसी न्यायालय में किया गया है। जिसके अधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी थे। उक्त दावे के लंबित रहते राज्य सरकार के आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय जोधपुर में मेरे पिताजी द्वारा कोई रिट दायर नही की थी। उक्त जमीन के अन्य खातेदारान द्वारा उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट दायर की थी जो खारीज हो गई थी। जिसकी कुछ खातेदारान द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट अपील लक्ष्मणजी मनोहरजी व एक अन्य खातेदारान द्वारा की गई थी। मेरे पिताजी द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में अपील की गई थी। यह कहना सही है कि उक्त जमीन पर हमारा कब्जा नही है लेकिन रोडवेज का कब्जा है। लेकिन उक्त जमीन खाली पडी हुई है। विवादित भूमि में हमारे 9500 स्क्वायर फीट के दो हिस्से कुल 19000 स्क्वायर फीट जमीन हमारी थी यह कहना सही है कि उक्त बताये गये क्षैत्रफल की सीमाएं शपथ पत्र में अंकित नही की है। यह कहना सही है कि मैने अपने दावे की कलम संख्या 5, 6, 7 दावे से हटकर अलग अंकित की है। यह कहना सही है कि उक्त वाद के संबंध में कोई संशोधित वाद प्रस्तुत नही किया हैं यह कहना सही है कि उक्त अवाप्ति कार्यवाही के विरूद्ध अवाप्ति को निरस्त करवाने की कोई कार्यवाही नही की है। अज खुद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अवाप्ति निरस्त कर दी है। यह कहना सही है कि नामान्तरण को निरस्त करवाने की उच्च अधिकारी को कार्यवाही नही की है। यह दावा पेश कर रखा है। यह कहना गलत है कि रोडवेज ने हमारी जो भूमि अवाप्त की है जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की हो। बल्कि उनके नीजी स्वार्थ के लिये अवाप्त की है। क्योकि हमारी अवाप्त की गई भूमि आज भी खाली है तथा कुछ भाग पर पेट्रोल पम्प हेतु किराये पर दे रखी है।

उक्त गवाह से पेराकार सरकार द्वारा की गई जिरह में बयान किया यह सही है कि वर्तमान में विवादित आराजी पर कब्जा रोडवेज का है। हमारा नही है । यह सही है कि विवादित जमीन के कुछ हिस्से पर भूमि किराये पर देकर पेट्रोल पम्प प्राईवेट पार्टी ने बनाया है। बाकी जमीन खाली पडी हुई है हमारा कब्जा नही होने से हम उपयोग भी नही कर रहे है। इस भूमि का लगान भी हम नही भरते है।

अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में PW5–दिनेश चन्द्र चौबीसा, PW6–अशोक उपाध्याय, PW7–जगदीश उपाध्याय एवं PW1–परमानन्द के साक्ष्य शपथ पत्र पेश कर प्रस्तुत शपथ पत्र में बयान लेखबद्ध किये कि– शहर डूंगरपुर खसरा नम्बर 1013/2 जमाबंदी सम्वत 2041–44 रकबा 4 बीघा 10 बीस्वा में से 4 बीघा 2 बिस्वा भूमि अवाप्ति अधिकारी डूंगरपुर द्वारा अवाप्ति अधिनियम की विविध धाराओं के उल्लंघन कर अवाप्त की गई जिसके संबंध में वादीगण मे से श्री लक्ष्मणलाल चौबीसा व अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान एवं माननीय उच्चतम न्यायालय इण्डिया न्यू दिल्ली में कार्यवाही की जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त अवाप्ति कार्यवाही को विधि विरूद्व मानते हुए सम्पूर्ण अवाप्त खसरा नम्बर 1013/2 रकबा 4 बीघा 2 बीस्वा को अपने निर्णय दिनांक 01.03.2013 पारित कर निरस्त किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश सम्पूर्ण 4 बीघा 2 बीस्वा भूमि के संबंध में है जिसमें लक्ष्मणलाल चौबीसा व अन्य के साथ हम वादीगण की भी भूमि सम्मलित है जिस कारण माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश के तहत हमारी भूमि की अवाप्ति कार्यवाही निरस्त हो चुकी है। उक्त विधि विरूद्व आवाप्ति कार्यवाही के आधार पर प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा नामान्तरण संख्या 24 दिनांक 10.07.1987 एवं नामान्तरण तस्दीक आदेश नम्बर 3246–48 रे./87 दिनांक 09.04.1987 एवं आदेश संख्या 87/551–53 जो प्रतिवादी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डूंगरपुर के पक्ष में खोला है वह भी निरस्त व शुन्य घोषित किये जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा खोला गया नामान्तकरण वादीगण को सुने बगेर उनकी अदम मौजुदगी में खोला गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरित होने से निरस्त व शुन्य घोषित किये जाने योग्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की पालना में वादी लक्ष्मणलाल चौबीसा की भूमि को अवाप्ति से मुक्त कर कब्जा लक्ष्मणलाल चौबीसा व अन्य को सूपूर्द कर दिया है। वादीगण का प्रकरण लक्ष्मणलाल चौबीसा से भिन्न नही है। शेष बची 8 बीस्वा भूमि पर प्रतिवादी रोडवेज ने अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है जिसका भी कब्जा वादीगण प्राप्त करने अधिकारी है।

गवाह PW5 दिनेश चन्द्र चौबीसा से की गई जिरह में गवाह ने बयान किया कि यह कहना सही है कि जमीन भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्त की उस समय मेरे पिताजी जीवित थे। यह कहना सही है कि भूमि अवाप्ति की कार्यवाही भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर द्वारा की गई। यह कहना सही है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उक्त भूमि अवाप्ति में भूमि अवाप्ति अधिनियम की किन विविध धाराओं का उल्लंघन किया मैं नही जानता। यह सही है कि भूमि अवाप्ति की जिन धाराओं का उल्लंघन कर अवाप्त की गई उसके विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं की गई। अवाप्ति की कार्यवाही के समय मेरी उम्र 19 वर्ष थी तब में अध्ययनरत था। अवाप्ति की कार्यवाही की तब मेरे पिताजी को सुनवाई का कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। हमारी भूमि का नामान्तकरण रोडवेज के पक्ष मे हुआ उसका कोई नोटिस एवं जानकारी हमें नही दी । यह कहना गलत है कि भूमि अवाप्ति एवं नामान्तकरण के संबंध में मेरे पिताजी को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया हो। यह कहना भी गलत है कि मेरे पिताजी द्वारा ऐसा किसी नोटिस का जवाब दिया हो। यह कहना गलत है कि हमारे खाते की जमीन की अवाप्ति गलत रूप से की गई। इस संबंध मे कोई आपत्ति प्रस्तुत की हो अजखुद कहा कि इसकी अवाप्ति की कोई जानकारी नही थी। और जानकारी होने मेरे पिता व सह खातेदारान ने न्यायालय मे वाद पेश किया। यह कहना सही है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत वाद की कलम संख्या 12 में जो अनुतोष चाहा है वह सही है। यह कहना सही है कि उक्त अनुतोष के अतिरिक्त अनुतोष चाहने बाबत कोई संशोधित दावा पेश नहीं किया है। यह कहना सही है कि हमारे खाते की जमीन अवाप्त किये जाने के विरूद्व न्यायालय मे दावा लम्बित रहने के दौरान माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट दायर की थी। हमारे द्वारा प्रस्तुत रिट सींगल बैंच एवं डबल बैंच दोनो में खारीज हुई थी। यह कहना सही है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट खारीज हुई थी। यह कहना गलत है कि हमारे खारीज रिट के विरूद्व उच्चतम न्यायालय मे कोई अपील/पीटिशन प्रस्तुत नही की हो। अजखुद कहा कि पीटिशन पेश की थी। यह कहना सही है कि हमने जो उच्चतम न्यायालय में पीटिशन पेश की उसकी प्रमाणीत प्रति पत्रावली में पेश नहीं की है। अजखुद कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.03.2013 की नकल ऑनलाईन निकलवाकर पेश की है। यह कहना गलत है कि उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत पीटिशन में अपीलार्थी के रूप में हमारा नाम दर्ज नहीं हो। यह कहना सही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.03.2013 में अपीलार्थी के रूप में हमारा नाम अंकन नहीं है। पूरे निर्णय में भी अपीलार्थी के रूप में हमारा नाम अंकित नहीं है। अजखुद कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनवान मे लक्ष्मणलाल व अन्य अंकित है। तथा निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने अवाप्त 4 बीघा 2 बीस्वा सम्पूर्ण अवाप्ति को निरस्त घोषित किया है।

यह कहना गलत है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 01.03.2013 को हुए निर्णय की जानकारी हमे नहीं हो। अजखुद कहा कि हमने 2014 माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की पालना कराने हेतु माननीय न्यायालय में पेश की थी। 2014 में पालना कराने हेतु न्यायालय में कार्यवाही प्रस्तुत की इसका कोई प्रार्थना पत्र अथवा रिकार्ड पत्रावली में है या नहीं मैं नही बता सकता हू। अजखुद कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय पत्रावली में उपलब्ध है। यह मुझे पता नहीं कि निर्णय किसने पेश किया है। निर्णय कब ओर किसने पेश किया यह भी पता नहीं है। क्योंकि यह मुकदमा सह खातेदारों के साथ मेरे पिता ने पेश किया है मैं इनके स्वर्गवास होने के बाद पक्षकार बना हूँ। यह मेरी जानकारी में नहीं है कि न्यायालय में लम्बित वाद को 26.06.1990 को अपील मानते हुए खारीज कर दिया हो। यह मेरी जानकारी में नही है कि राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा क्या आदेश पारित किया है। अजखुद कहा कि मैं 2021 से उक्त मामले की पैरवी के लिये उपस्थित हो रहा हूँ। बाकी रिकार्ड के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। पत्रावली में उपलब्ध है ।

गवाह PW6 अशोक उपाध्याय से की गई जिरह में गवाह ने बयान किया कि यह कहना सही है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा दावाकृत भूमि अवाप्त की उस समय मेरे पिताजी जीवित थे। यह कहना सही है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर द्वारा की गई थी। अजखुद कहॉ कि भूमि अवाप्ति के समय मैं 20 वर्ष का था। अवाप्ति समय कौन–कौन अधिकारी थे मुझे नहीं पता। यह मेरी जानकारी में नही है कि मेरे पिताजी ने जो दावा इस न्यायालय में किया है जिसमें बयान देने आया हूँ व दावा किस बाबत किया है मेरी जानकारी में नहीं है। यह कहना सही है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वार भूमि अवाप्ति अधिनियम की किन विविध धाराओं का उल्लंघन कर भूमि अवाप्त की गई यह मैं नही बता सकता। यह कहना गलत है कि भूमि अवाप्ति अधिनियम में की गई गलत कार्यवाही के विरूद्व हमने आगे कार्यवाही नहीं की हो। यह मुझे जानकारी नही है कि अवाप्ति की कार्यवाही के विरूद्व जो कार्यवाही आगे की गई उससे संबंधित कागजात यहा पेश नहीं किये है। अजखुद कहा कि उस समय मेरे पिताजी कार्यवाही करते थे। यह मुझे मालुम नहीं है कि अवाप्ति के संबंध में मेरे पिताजी को नोटिस दिये गये हो और उन्होंने जवाब पेश किया हो। मूल वाद के बाद संशोधित वाद पत्र पेश किया है या नही। यह कहना सही है कि इस दावे के लम्बित रहते हुए हाई कोर्ट मे रिट दायर की गई थी। यह कहना सही है कि वह रिट सिंगल बैंच एवं डबल बैंच दोनो में खारीज कर दी गई थी। यह कहना गलत है कि इसके विरूद्व उच्चतम न्यायालय में अग्रिम कार्यवाही नही है। अजखुद कहा कि सह खातेदार को भेजा था। यह कहना सही है कि मुझे यह जानकारी नहीं है कि हमारे पक्ष की अपील हुई या नहीं । यह मेरी जानकारी में नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के पीटिशन की कॉपी यहा पेश की या नही । सुप्रीम कोर्ट मे प्रस्तुत रिट मे लक्ष्मणलाल जी, मनोहरलाल जी एवं सुशीलचन्द्र जी गये थे। यह कहना गलत है कि उक्त रिट में सुशीलचन्द्र जी का नाम नहीं है बल्कि लक्ष्मणलाल व अन्य लिखा हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का रिट का निर्णय संभवतः 2013 में हुआ है। इसकी जानकारी मुझे कब हुई मुझे ध्यान नहीं है। यह कहना गलत है कि उस निर्णय की पालना कराने हमने कोई कार्यवाही नही की है। अजखुद कहा कि दावा चल रहा है।

गवाह PW 7 जगदीश उपाध्याय से की गई जिरह में गवाह ने बयान किया कि यह कहना सही है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा दावाकृत भूमि अवाप्ति की उस समय मेरे पिता जीवित थे। यह कहना सही है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड़ अधिकारी डूंगरपुर द्वारा भूमि अवाप्त की गई थी। यह कहना सही है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम की किन विविध धाराओं का उल्लंघन कर भूमि अवाप्त की गई है यह मैं नही बता सकता। यह कहना सही है कि हमारी भूमि की अवाप्ति को लेकर मेरे पिताजी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में सिंगल बैंच एवं डबल बैंच में रिट दायर की गई थी। और दोनो बैंचो द्वारा मेरे पिताजी द्वारा प्रस्तुत रिट खारीज हुई थी। यह कहना गलत है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारीज रिट के विरूद्व कोई अपील नही की हो। अजखुद कहा कि हमारे पार्टनरो द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय मे प्रस्तुत की थी। यह कहना सही है कि उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत अपील मे मेरे पिताजी वेलजी एवं उनके विधिक वारिसान का नाम नहीं है। यह कहना सही है कि मेरे पिताजी द्वारा जो दावा इस न्यायालय में किया है उसका कोई अतिरिक्त संशोधित दावा हमारे द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है। यह मेरी जानकारी में नही है कि भूमि अवाप्ति के समय भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्ति संबंधित कोई नोटिस मेरे पिताजी को दिये हो और इनका जवाब मेरे पिताजी द्वारा दिया गया हो। उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी निर्णय पारित होने के तुरन्त पश्चात् हो गई थी। यह कहना सही है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला हुआ मुझे पता नहीं । यह कहना सही है कि लक्ष्मणलाल वगेरह द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी जिसकी जगीन का कब्जा रोडवेज द्वारा नहीं लिये जाने से लक्ष्मणलाल वगैरह को वापस देने के आदेश पारित किये गये थे। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित कथन वाद पत्र में अंकित कथनो से भिन्न हो।

अतिरिक्त गवाह PW 1 परमानन्द उपाध्याय से की गई जिरह में गवाह ने बयान किया कि यह कहना सही है कि जमीन भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्त की उस समय मेरे पिताजी जीवित थे। यह कहना सही है कि भूमि अवाप्ति की कार्यवाही भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर द्वारा की गई थी। यह कहना गलत है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी ने अवाप्ति के समय किन–किन विविध धाराओ का उल्लंघन किया यह मुझे पता नहीं है। यह मेरी जानकारी में नही है कि भूमि अवाप्ति के समय मेरी उम्र कितनी थी। यह कहना सही है कि भूमि अवाप्ति के समय अवाप्ति अधिकारी द्वारा मेरे पिताजी को भूमि अवाप्ति के समय नोटिस दिये थे जिनका जवाब मेरे पिताजी द्वारा दिया गया था। यह कहना सही है कि हमारी जमीन की अवाप्ति के संबंध में इस न्यायालय में वाद लम्बित रहने के दोरान माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर की थी और माननीय उच्च न्यायालय की सींगल बैंच व डबल बैंच से रिट खारीज हुई थी। यह कहना सही है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा खारीज रिट के विरूद्व माननीय सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट दायर नहीं की एवं न अपील पेश की। यह कहना सही है कि इस न्यायालय में प्रस्तुत वाद में अनुतोष चाहने के अतिरिक्त अनुतोष हेतु कोई संशोधित वाद इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है।

प्रतिवादी संख्या 3 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने अपने मौखिक साक्ष्य में डी डब्ल्यू–1 श्री तस्दुक हुसैन एवं डी डब्ल्यु–2 श्री रणजीत सिंह राठौड ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश कर प्रस्तुत शपथ पत्र में बयान लेखबद्व किये कि मैं वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम डूंगरपुर (राज.) के प्रबन्धक (प्रशासन)के पद पर कार्यरत हुँ एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम डूंगरपुर डिपो में सन् 1980 से कार्यरत हुँ। रोडवेज बस स्टेण्ड हेतू अवाप्त की गई भूमि , रोडवेज बस स्टेण्ड की सीमाओ के सम्बन्ध में उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर एवं भौतिक रूप से मैं पुर्ण रूप से जानकारी रखता हुँ , वर्तमान में रोडवेज बस स्टेण्ड हेतू अवाप्त की गई भूमि का प्रत्येक भाग एवं अंश रोडवेज बसो के संचालन एवं जन हितार्थ उपयोग में आ रहा है,एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम डूंगरपुर (राज.) का प्रबन्धक (प्रशासन) होने से उक्त मामले में साक्ष्य देने हेतू अधिकृत होने से उक्त साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हुँ
वर्तमान में रोडवेज बस स्टेण्ड हेतू अवाप्त की गई भूमि का प्रत्येक भाग एवं अंश रोडवेज बसो के संचालन एवं जन हितार्थ उपयोग में आ रहा है,एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम डूंगरपुर (राज.) का मुख्य प्रबन्धक होने से उक्त मामले में साक्ष्य देने हेतू सक्षम अधिकारी होने से साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतू अधिकृत होने से उक्त साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हुँ । मौजा डूंगरपुर के खसरा नं. 1013/2, रकबा चार बीघा दो बीस्वा भूमि को भूमि अवाप्ती अधिकारी डूंगरपुर द्वारा अवाप्त कर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम डूंगरपुर (राज.)के पक्ष में नामान्तकरण करने का आदेश दिनॉक 9/4/1987 को पारित किया एवं उक्त आदेश की पालना में पटवारी डूंगरपुर ने दिनॉक 10/4/87 को वादीगण के उक्त खाते का नामान्तकरण प्रतिवादी सं. 3 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम डूंगरपुर (राज.) के पक्ष में खोला गया एवं उक्त अवाप्त की गई भूमि का कब्जा भी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम डूंगरपुर (राज.) को दिया गया। उक्त अवाप्त की गई भूमि का कब्जा रोडवेज डूंगरपुर को दिए जाने के पश्चात रोडवेज डूंगरपुर ने उक्त अवाप्त की गई सम्पुर्ण भूमि पर अपना कब्जा कायम किया एवं उक्त अवाप्त की गई भूमि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम डूंगरपुर (राज.) के खाते में नामान्तरीत की गई। वर्तमान में रोडवेज के पक्ष में उक्त अवाप्त की गई भूमि के किसी भी भाग पर वादीगण का कब्जा नही हैं, अपितू भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत सम्बन्धित भूमि का नामान्तकरण राजस्व अधिकारियो द्वारा तत्कालिन समय में ही राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डूंगरपुर के नाम खोला गया और तब से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम डूंगरपुर का कब्जा बेरोक टोक चला आ रहा है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम डूंगरपुर का उक्त अवाप्त भूमि पर निगम का कार्यालय, बस स्टेण्ड भवन, पेट्रोल पम्प, सुलभ कॉम्पलेक्स एवं रोडवेज की बसो के आने जाने ,खडे रखने के लिए सुव्यवस्थित बस स्टेण्ड निर्मीत हो संचालित है। इस प्रकार उक्त अवाप्त भूमि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम डूंगरपुर एवं जनहित के उपयोग एवं उपभोग में निरन्तर चली आ रही है। एवं अवाप्त की गई भूमि का एक अंश भी अनुपयोगी नही रहा है। वर्तमान मे भी निगम द्वारा उक्त अवाप्त भूमि पर यात्रियो के आवागमन ,निगम की बसो के सुचारू रूप से संचालन एवं अन्य कार्यो एवं जन सूविधा के लिए निगम द्वारा काफी राशी खर्च की गई है एवं बस स्टेण्ड को आधुनिक सुविधाओ से सुसज्जित किया गया है एवं आमजन को और भी अधिक आधुनिक सुविधाए उपलब्ध कराने के लिए निगम की ओर से काफी योजनाऐं भी प्रस्तावित है। भूमि अवाप्ति अधिकारी महोदय द्वारा अवाप्ति अधिनियम के अधिन समस्त नियमो प्रावधानो का पालन करते हुए एवं वादीगण को भी सुनवाई का पुर्ण अवसर प्रदान करने के पश्चात उक्त भूमि जनहितार्थ अवाप्त कर विधिवत रूप से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम डूंगरपुर को कब्जा देकर रोडवेज के पक्ष में नामान्तकरण खोला गया है। वादीगण द्वारा

उक्त भूमि के नामान्तकरण दिनॉक 10/4/87 को अवैध घोषित करने एवं निषेधाज्ञा, एवं धारा 91 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत वाद प्रस्तुति के समय उक्त अवाप्त की गई भूमि के किसी भी भाग पर वादीगण का कब्जा नही था , न ही उक्त भूमि वादीगण के खाते में थी, वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुति के पुर्व कथित विवादित भूमि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम डूंगरपुर (राज.) के कब्जे में होकर रोडवेज के खाते मे नामान्तरित थी ,एवं उक्त भूमि भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत अवाप्त कर ली जाने से वादीगण के काश्तकारी अधिकार का अवसान हो जाने से उनके उक्त भूमि पर से समस्त हित समाप्त हो गए थे,. ऐसी स्थिति में वादीगण को उक्त अवाप्त की गई भूमि के सम्बन्ध में वाद पेश करने का कतई कोई अधिकार नही था एवं बिना किसी अधिकार के गलत तथ्यो पर आधारित क्षैत्राधिकारविहिन न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद की सुनवाई का क्षैत्राधिकार भी माननीय न्यायालय को नही है। चुंकि भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध में किसी को आपत्ति है तो भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत इसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय मे ही हो सकती है एवं वादीगण द्वारा उक्त मामले में उक्त वाद के लम्बित रहने के दौरान माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर की एकल पीठ में सिविल रिट प्रस्तुत की थी जो कि माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा निरस्त फरमाई गई जिसकी वादीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर की डबल बैंच में अपील की गई और उक्त प्रस्तुत अपील भी माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर की डबल बैंच द्वारा निरस्त फरमाई गई एवं माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर की डबल बैंच द्वारा निरस्त की गई उक्त अपील के विरूद्व वादीगण ने माननीय सर्वोच्य न्यायालय में कोई अपील प्रस्तुत नही की। ऐसी स्थिति में वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। उक्त अवाप्त की गई भूमि के सम्बन्ध में हुई समस्त विधिक कार्यावाही के आवश्यक दस्तावेजात उक्त पत्रावली में प्रस्तुत हो सलंग्न है।

उक्त गवाह डी डब्ल्यू–1 श्री तस्दुक हुसैन से की गई जिरह में गवाह ने बयान किया कि डूंगरपुर बस स्टैण्ड व रोडवेज कार्यालय कितने बीघा जमीन पर बना हुआ है यह परफेक्ट नही बता सकता हूँ। रिकार्ड देखकर बता सकता हूँ। लगभग सात–आठ बीघा पर बस स्टैण्ड व कार्यालय बना हुआ है। बस स्टैण्ड एवं कार्यालय जिस पर बना हुआ है जिस जमीन का खसरा नम्बर नहीं बता सकता हूँ। अजखुद कहा रिकार्ड देखकर बता सकता हूँ। यह सही है कि कार्यालय व बस स्टैण्ड के बीच में खुली जमीन है जहॉ बसे रूकती है। उस जगह का खसरा नम्बर नहीं बता सकता हूँ। कार्यालय के साईड मे सुलभ शौचालय है। यह सही है कि सुलभ शौचालय के साईड में और आगे पुरी जमीन खाली पडी हुई है इसी के आगे पेट्रोल पम्प बना हुआ है। पेट्रोल पम्प से सुलभ शौचालय से तकरीबन दूरी 600 फीट है जिस पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं है । उस खाली भूमि की चौडाई तकरीबन 1200–1300 फीट होगी। 1300X 600 फीट पर निर्माण नही है अजखुद कहा कि निगम के बसो के संचालन हेतु काम आ रहा है। बस स्टैण्ड का प्रवेश द्वार डूंगरपुर–सागवाडा रोड पर स्थित है। यह सही है कि सागवाडा–डूंगरपुर मुख्य मार्ग से बस स्टैण्ड पर प्रवेश भाग से अलग है अजखुद कहा कि वर्कशॉप में जाने के लिये वही रास्ता है। यह सही है कि हमारे वर्कशॉप पर जाने वाला एक रास्ता माथुगामडा रोड से जाता है जो आगे जाकर डूंगरपुर–सागवाडा रोड से मिल जाता है। हमारा वर्कशॉप माथुगामडा रोड पर है। यह मैं नही कह सकता कि वर्कशॉप से बस माथुगामडा डामर रोड से डूंगरपुर–सागवाडा तिराह से आ सकती है अथवा नहीं। पेट्रोल पम्प संचालन हेतु ठेके पर दे रखा है। जो प्राईवेट व्यक्ति चलाता है। यह सही है कि रोडवेज की बसों के लिये हमारे वर्कशॉप में लगे पेट्रोल पम्प से लेते है। कभी बन्द होने पर सार्वजनिक पेट्रोल पम्प से बाहर से लेते है। पम्प और खाली जमीन किन खसरो पर है मैं नही बता सकता। प्रबंधक प्रशासन बता सकते है। यह मैं नही कह सकता कि विवादित खसरे का धारा 4 की विज्ञप्ती दिनांक 01.05.1980 को जारी हुई हो यह बात प्रबंधक प्रशासन ही बता सकते है। यह सही है कि विवादित खसरे की धारा 6 की घोषणा दिनांक 19.03.1987 को जारी की गई थी यह मुझे जानकारी में नही है कि विवादित खसरो की अवाप्ति की कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट में निरस्त कर दी हो इस बारे में मैं प्रबंधक एवं पूर्व के मुख्य प्रबंधक रह चुके है वही बता सकते है। विवादित खसरे में किस–किस के खाते थी मैं नही बता सकता हूँ। मैं यह नहीं बता सकता हूँ कि विवादित खसरा नम्बर 1013/2 वादीगण एवं लक्ष्मण पिता सज्जनलाल के संयुक्त खाते हो । यह मैं नही कह सकता कि वादीगण व लक्ष्मण की संयुक्त स्वामित्व की विवादित भूमि की अवाप्ति कार्यवाही की धारा 4 का नोटिस व धारा 6 का डिक्लेरेशन एक ही निकला हो।

उक्त गवाह डी डब्ल्यु–2 श्री रणजीत सिंह राठौड से की गई **जिरह** में गवाह ने बयान किया कि विवादित जमीन पर इँडियन ऑयल का पेट्रोल पम्प है। जिसे इँडियन ऑयल कम्पनी चलाती है। यह पम्प अतिक्रमण करके नहीं बनाया है बल्कि हेड ऑफिस जयपुर की स्वीकृति से कुछ समय के लिये टेम्प्रेरी दिया है। जिसे रोडवेज ने इंडियन ऑयल को किराये पर दिया है। बस स्टैण्ड के लिये आठ बीघा दो बिस्वा भूमि अवाप्त की गई है। इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प के पीछे की जमीन रोडवेज के बस स्टैण्ड है। कितनी खाली

पडी है मुझे नही पता है फिर कहा कि आठ बीघा में चार बीघा भूमि बस स्टैण्ड में है। इस चार बीघा में रोडवेज का कार्यालय बस स्टैण्ड की बिल्डींग व बसे खडी रहती है। अभी इस माह में बस स्टैण्ड की भूमि पर दैनिक भास्कर मेगा ट्रेड फेयर लगा था। ये पेट्रोल पम्प व शौचालय के बीच खाली भूमि पर लगा था। किराया कितना दिया था वो ध्यान नही अनुबंध देखना पडेगा। अंदाज यह मेला 20 से 25 दिन चला। इसके अन्दर बहुत सी दुकाने लगी थी। यह कहना गलत है कि इस मेले का 20 से 25 दिन का किराया 10 से 15 लाख मिला हो अजखुद कहा कि अंदाज से 10 हजार भाडा मिला होगा। रोडवेज भूमि पर लगे मेले के फोटो Exp-10-12 और Exp-13 फोटो रोडवेज भूमि पर लगे पेट्रोल पम्प का/रोडवेज बस स्टैण्ड और बसे खडी रहती है वहॉ ख. न. 10–12 है कार्यालय भी ख.न. 10–12 में है। पॉर्किंग (बसों) का ख.न. 10–13 है। कार्यालय एवं बस स्टैण्ड की खुद की जमीन खाली पडी कितनी है फीट में नहीं बता सकता पर बस घुम के स्टैण्ड पर लग सके इतनी है। बिस्वा भूमि नहीं बता सकता। बीच की भूमि बसों के परिवहन के काम आ रही है। यह कहना गलत है कि बस स्टैण्ड से कार्यालय के बीच की भूमि लम्बाई चोडाई 200 फीट या 400 फीट है। यह भूमि ख.न.10–12 में है। बस स्टैण्ड पर बसो का द्वार सागवाडा रोड पर है। बसों का वर्कशॉप अलग है। वर्कशॉप गाथुगामडा रोड पर है। विवादित भूमि की धारा 4 अवाप्ति की विज्ञप्ति सन् 1987 में जारी हुई। धारा 6 की घोषणा की विज्ञप्ति कब हुई जारी नही पता। विवादित भूमि की धारा 4 नोटिस एवं धारा 6 की घोषणा सभी वादीगण को एक साथ जारी हुई है। यह कहना गलत है कि सुप्रीम कोर्ट में इस सम्पूर्ण अवाप्ति की कार्यवाही को गैर कानूनी मानते हुए सम्पूर्ण कार्यवाही निरस्त किया गया हो अजखुद कहा कि जिनका कब्जा नही लिया है उसका निरस्त किया। जो लक्ष्मण वगैरह का कब्जा रोडवेज नही लिया था । लक्ष्मण जी अन्य वादीगण के साथ संयुक्त खातेदार थे। यह सही है कि संयुक्त खाते का नम्बर खाता नम्बर 52 ख.न. 1013/2 जो चार बीघा 2 बिस्वा थी। यह कहना गलत है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश खाता नम्बर 52 ख.न.1013/2 चार बीघा 02 बिस्वा निरस्त कर दी हो। सम्पूर्ण भूमि रोडवेज ने स्वंय अपने उपयोग के लिये अवाप्त की थी। यह कहना गलत है कि विवादित भूमि हमारे रोडवेज के उपयोग में नही आ रही हो मात्र किराये पर देने का कार्य कर रहे हो।

उक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण में विरचित किए गए तनकीयात पर न्यायालय का विनिश्चय निम्न प्रकार है :–

तनकी सं. 1 (एक) :–इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी सं. 3 पर है तथा इस तनकी में प्रतिवादी सं. 3 को यह साबित करना है कि क्या विवादित भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 का कब्जा है ?

इस सम्बन्ध में उभय पक्ष की ओर से पत्रावली पर उपलब्ध करवाई गई साक्ष्य में वादीगण की ओर से गवाह PW1 परमानन्द, PW2 दयाराम, PW3 मनसुखलाल, PW4 लोकेश गांधी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र में अंकन किया है कि वादीगण एक संयुक्त खाता नम्बर 52 कस्बा डूंगरपुर में जिसमें खसरा नम्बर 1013/2 चार बिघा 2 बिस्वा भूमि है। उक्त भूमि की कुछ भूमि वादीगण के कब्जे में है तथा कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के कब्जे में है। एवं उक्त गवाहान से की गई जिरह में गवाहान द्वारा स्वीकार किया गया है कि इस भूमि पर हमारा कब्जा नहीं है जबसें अवाप्ति की कार्यवाही हो गयी तब से रोडवेज का ही कब्जा होकर उनके उपयोग मे आ रही है एवं अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में PW5 दिनेश चन्द्र चौबीसा, PW6 अशोक उपाध्याय, PW7 जगदीश उपाध्याय एवं PW1 परमानन्द के द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त साक्ष्य शपथ पत्र एवं उक्त गवाहान से की गई जिरह में गवाहान द्वारा दिए गए बयानो से प्रमाणित है कि कथित विवादित भूमि जिसे अवाप्त कर नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 3 के खाते में दर्ज की है उक्त भूमि अवाप्ती के बाद से कथित आराजियात प्रतिवादी संख्या 3 के कब्जे में है, जो निगम द्वारा उक्त अवाप्त भूमि पर यात्रियो के आवागमन, निगम की बसो के सुचारू रूप एवं यात्रियो के सुविधायुक्त बस स्टेण्ड के संचालन में प्रतिवादी सं. 3 द्वारा जनहितार्थ उपयोग एवं उपभोग किया जा रहा है, वादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे है कि रोडवेज के पक्ष में अवाप्त भूमि जिसका नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में खोला गया है उसके किसी हिस्से पर वादीगण का कब्जा हो, न ही वादीगण के उक्त विवादित भूमि के किसी हिस्से पर काबीज होने बाबत् कोई दस्तावेजी प्रमाण पत्रावली में उपलब्ध है। अतः प्रतिवादी संख्या 3 यह प्रमाणित करने में सफल रहे है कि विवादित भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 का कब्जा है। अतः यह तनकी प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी सं. 2 (दो) :–इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 3 पर है तथा इस तनकी में प्रतिवादी संख्या 3 को यह साबित करना है कि क्या खाते के खसरा नम्बर 1013/2 बीघा चार बीघा दो बिस्वा वादीगण के स्वामित्व का जन हितार्थ विधिवत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस स्टेण्ड के लिये अवाप्त की जाकर नामान्तरण की गई है ?

इस सम्बन्ध में उभय पक्ष की ओर से पत्रावली पर उपलब्ध करवाई गई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस स्टेण्ड के लिये अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्ति कार्यवाही के दौरान खसरा नम्बर 1013/2 बीघा चार बीघा दो बिस्वा के खाताधारक को नोटिस देकर सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए अवाप्ति की कार्यवाही कर जनहितार्थ रोडवेज बस स्टेण्ड के लिए अवाप्त की है एवं उक्त अवाप्त भूमि का रोडवेज बस स्टेण्ड के रूप में ही उपयोग किया जाना, रोडवेज बसो के ठहराव, यात्रियो की सुविधा के लिए सुलभ कॉम्पलेक्स, पार्किंग स्थल आदि के रूप में जनहितार्थ उपयोग आ रहा है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई लाभ दर्शित नही है। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत गवाहान द्वारा अपनी साक्ष्य में प्रकट किया है कि उक्त खसरा नम्बर 1013/2 बीघा चार बीघा दो बिस्वा भूमि के अवाप्ति के तत्कालिन समय आमजन की सुख सुविधाओ को ध्यान में रखते हुए उक्त भूमि अवाप्त कर उक्त भूमि पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम डूंगरपुर का उक्त अवाप्त भूमि पर निगम का कार्यालय, बस स्टेण्ड भवन, सुलभ कॉम्पलेक्स, पार्किंग स्थल एवं रोडवेज की बसो के आने जाने, खडे रखने के लिए सुव्यवस्थित बस स्टेण्ड निर्मीत हो संचालित है। इस प्रकार उक्त अवाप्त भूमि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम डूंगरपुर एवं जनहित के उपयोग एवं उपभोग में निरन्तर चली आ रही है। एवं अवाप्त की गई भूमि का एक अंश भी अनुपयोगी नही रहा है। वर्तमान मे भी निगम द्वारा उक्त अवाप्त भूमि पर यात्रियो के आवागमन, निगम की बसो के सुचारू रूप से संचालन एवं अन्य कार्यो एवं जन सुविधा के लिए निगम द्वारा काफी राशि खर्च की गई है एवं बस स्टेण्ड को आधुनिक सुविधाओ से सुसज्जित किया गया है एवं आमजन को और भी अधिक आधुनिक सुविधाए उपलब्ध कराने के लिए निगम की ओर से काफी योजनाएँ भी प्रस्तावित है। उक्त तनकी के विरोध में वादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे है कि खसरा नम्बर 1013/2 चार बीघा दो बिस्वा वादीगण के स्वामित्व का जन हितार्थ विधिवत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस स्टेण्ड के लिये अवाप्त नही की गई है एवं उक्त अवाप्त भूमि का नामान्तकरण गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 3 रोडवेज के पक्ष में दर्ज किया गया है। अतः पत्रावली में उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रतिवादी सं. 3 यह प्रमाणित करने में सफल रहे है कि खाते के खसरा नम्बर 1013/2 चार बीघा दो बिस्वा वादीगण के स्वामित्व का जन हितार्थ विधिवत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस स्टेण्ड के लिये अवाप्त की जाकर नामान्तरण की गई है। अतः यह तनकी प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी संख्या 3 (तीन) एवं अतिरिक्त तनकी सं. 1(एक) :– इस तनकी सं. 3 (तीन) एवं अतिरिक्त तनकी संख्या 1(एक) को साबित करने का भार वादीगण पर है तथा इस तनकी 3 में वादीगण को यह साबित करना है कि क्या नामान्तरकरण खसरा नम्बर 1013/2 का अवैध है कि स्वयं भूमि अवाप्ति अधिकारी नामान्तरकरण तस्दीक के आदेश देने सक्षम नही है, न ही नामान्तकरण तस्दीक करने के पूर्व खातेदारों को नोटिस दिया गया न ही सुनवाई का अवसर दिया ? साथ ही अतिरिक्त तनकी सं. 1 क्या वादग्रस्त खसरा नम्बर 1013/2 का भूमि अवाप्ति अधिकारी डूंगरपुर ने राज्य सरकार के एक अनियमित आदेशानुसार अवाप्त करने की कार्यवाही भूमि अवाप्ति अधिनियम की विविध धाराओं का उल्लंघन कर मनमानी कार्यवाही कर विपक्षी संख्या 3 के पक्ष में नामान्तकरण करने के आदेश भूमि अवाप्ति अधिकारी ने दिनांक 09.04.1987 को वादीगण की आपत्ति को सुने बगैर उनकी अदम मौजुदगी में पारित किये ? उक्त दोनो तनकीयात समान प्रकृति की होने से विनिश्चय एक साथ किया जा रहा है।

वादीगण की ओर से गवाह PW1 परमानन्द, PW2 दयाराम, PW3 मनसुखलाल, PW4 लोकेश गांधी , एवं अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में PW5 दिनेश चन्द्र चौबीसा, PW6 अशोक उपाध्याय, PW7 जगदीश उपाध्याय एवं PW1 परमानन्द के साक्ष्य शपथ पत्र पेश कर साक्ष्य प्रस्तुत की कि वादीगण एक संयुक्त खाता नम्बर 52 कस्बा डूंगरपुर में जिसमें खसरा नम्बर 1013/2 चार बिघा 2 बिस्वा भूमि है। विवादग्रस्त खसरा नम्बर 1013/2 को भूमि अवाप्ति अधिकारी डूंगरपुर ने राज्य सरकार के एक अनियमित आदेश के अन्तर्गत अवाप्त करने की कार्यवाही भूमि अवाप्ति अधिनियम की विविध धाराओं के उल्लंघन की मनसवी कार्यवाही कर भूमि पर विपक्षी संख्या 3 को कब्जा दिलाने अथवा उनके नाम नामान्तकरण करने के आदेश भूमि अवाप्ति अधिकारी प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनांक 09.04.87 को पारीत किये। उक्त आदेश वादीगण की आपत्ति को सुने बगैर अदम मौजुदगी में दिये गये। उपखण्ड अधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी प्रतिवादी संख्या 2 के आदेश नम्बर 3246–48 रे. 87/तारीख 09.04.87 पर तहसीलदार डूंगरपुर के आदेश संख्या रेवेन्यु 87/551–53 दिनांक 09.04.87 से वादीगण के खाता नम्बर 1013/2 का नामान्तकरण प्रतिवादी नम्बर 3 के पक्ष में खोला गया है। उक्त अवाप्ति कार्यवाही एवं नामान्तकरण नियमों एवं कानून की अवहैलना कर जारी किया गया है। जिसमें विवादित भूमि की अवाप्ति कार्यवाही में अवाप्ति अधिकारी ने धारा 4 (5) का प्रारम्भिक नोटिस नये अवाप्ति कानून 1981 आने के पूर्व दिनांक 01.05.80 को जारी किया जबकि इसी कार्यवाही में धारा 6 घोषणा का नोटिस दिनांक 19.03.87 को जारी किया जो धारा 4(5) के नोटिस के दो वर्ष बाद जारी होने से कानूनन शुन्य एवं निष्प्रभावी है। नये अवाप्ति कानून 1981 की धारा

5(2) में यह प्रावधान है कि धारा 4(5) के नोटिस के 2 वर्ष के अन्दर धारा 6 का नोटिस जारी होना चाहिए जबकि इस प्रकरण में 7 वर्ष पश्चात् जारी होने से सम्पूर्ण अवाप्ति कार्यवाही त्रुटि पूर्ण है। सभी वादीगण जिसमें लक्ष्मणलाल एक वादी था जो हम वादीगण के साथ खाते में संयुक्त खातेदार था और उसकी भूमि भी हम वादीगण की भूमि के साथ इन्ही त्रुटि पूर्ण अवाप्ति कार्यवाही के तहत अवाप्त कर प्रतिवादी संख्या 3 के नाम खाते में दर्ज की गई थी। जिस एक वादी लक्ष्मणलाल के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय आफ इण्डिया नई दिल्ली में सिविल अपील नम्बर 6392/2003 में दिनांक 01.03.2013 को निर्णय पारीत कर विवादित अवाप्ति नोटिफिकेशन दिनांक 1.5.1980 एवं नोटिफिकेशन दिनांक 19.03.1987 को गैरकानूनी बताया है तथा हम वादीगण की भूमि भी इन्ही नोटिफिकेशनों के आधार पर अवाप्त कर प्रतिवादी संख्या 3 के नाम खाते दर्ज की गई है। वादीगण की भूमि की अवाप्ति कार्यवाही उच्चतम न्यायालय द्वारा गैरकानुनी घोषित कर दी गई है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर हम वादी मे से लक्ष्मणलाल के वारिसानों के नाम भूमि वापस खाते डाली गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त अवाप्ति कार्यवाही को विधि विरूद्ध मानते हुए सम्पूर्ण अवाप्त खसरा नम्बर 1013/2 रकबा 4 बीघा 2 बीस्वा को अपने निर्णय दिनांक 01.03.2013 पारित कर निरस्त किया है। वादीगण का प्रकरण लक्ष्मणलाल चौबीसा से भिन्न नही है।

उक्त गवाहान से की गई जिरह में गवाहान द्वारा बयान किया गया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के लम्बित रहने के दौरान उनके द्वारा उक्त अवाप्ति की कार्यवाही के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट दायर की थी जोकि सिंगल बैंच द्वारा खारिज की गई तत्पश्चात माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में डबल बैंच में अपील प्रस्तुत की जो कि निरस्त की गई इसके पश्चात माननीय उच्चतम न्यायालय में कोई अपील अथवा कार्यवाही उक्त अवाप्ति के सम्बन्ध में नही की गई। गवाहान द्वारा बयान किया गया कि लक्ष्मणलाल वगैरह द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील की गई थी जिसमें वगैरह में हम अन्य वादीगण आते है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील नम्बर 6392/2003 में पारित निर्णय दिनांक 01.03.2013 की कम सं. 32 एवं 33 में अंकन किया कि 32. Having regard to clear and unambiguous mandate of Section 5(2) of the 1981 Amendment Act that no declaration under Section 6 of the 1953 Act in respect of any land for the acquisition of which notice under Section 4(5) has been given before the commencement of the 1981 Amendment Act shall be made after the expiry of two years from the commencement of the 1981 Amendment Act, it has to be held and we hold that preliminary notification dated 01.05.1980, which was followed by notice under Section 4(5) before the commencement of the 1981 Amendment Act, has lapsed and does not survive since declaration under Section 6 has been made much beyond the time limit prescribed in law.

33. Civil appeal is, accordingly, allowed. The impugned orders are set aside. It is declared that preliminary notification dated 01.05.1980 has lapsed and the declaration made on 19.03.1987 is legally unsustainable. If possession of the subject land has been taken from the appellants, the same shall be restored to them without any delay. No orders as to costs

उक्त मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मात्र लक्ष्मणलाल एवं मनोहरलाल के विधिक वारिसान को उनकी अवाप्त भूमि का कब्जा बिना किसी देरी के वापस दिए जाने के आदेश पारित किए है एवं उक्त निर्णय के अवलोकन से प्रमाणित है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में वादीगण में से मात्र लक्ष्मणलाल एवं मनोहरलाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा उनकी रिट निरस्ती आदेश के विरूद्ध सिविल अपील प्रस्तुत की जो कि लक्ष्मणलाल एवं मनोहरलाल के विधिक वारिसान के पक्ष में निर्णित हुई एवं चूंकि पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य से प्रमाणित आया है कि उक्त लक्ष्मणलाल एवं मनोहरलाल के खाते की जमिन का नामान्तकरण प्रतिवादी सं. 3 के पक्ष में नही खोला गया था एवं कब्जा भी प्रतिवादी सं. 3 द्वारा प्राप्त नही किया था एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में अपीलान्टगण की जमीन का कब्जा नस्ती कर वापस सिपूर्द कर दिया गया। चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कथित विवादित भूमि जिसका नामान्तकरण प्रतिवादी सं. 3 के पक्ष में दर्ज है उपरोक्त भूमि का नामान्तकरण निरस्त कर कथित विवादित भूमि अन्य वादीगण को सिपूर्द किए जाने बाबत् आदेशित नही किया गया। एवं वादीगण से की गई जिरह में यह भी प्रमाणित आया है कि उक्त भूमि की अवाप्ति कार्यवाही के समय अवाप्ति अधिकारी द्वारा खातेदारान को नोटिस दिए गए थे जिनका जवाब खातेदारान द्वारा दिया गया था। इस प्रकार गवाहान की साक्ष्य से प्रमाणित है कि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उक्त भूमि अवाप्ति के समय खातेदारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए भूमि अवाप्त कर प्रतिवादी सं. 3 के पक्ष में नामान्तरण खोला गया है। अतः उक्त दोनो तनकीयात तनकी नं. 3 व अतिरिक्त तनकी नं. 1 वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

अतिरिक्त तनकी सं. 2 (दो) :–

इस अतिरिक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी सं. 3 पर है तथा इस अतिरिक्त तनकी में प्रतिवादी सं. 3 को यह साबित करना है कि क्या इस वाद को सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नही है ?

इस सम्बन्ध में उभय पक्ष की ओर से पत्रावली पर उपलब्ध करवाई गई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार वादीगण द्वारा वाद इस न्यायालय में वाद बाबत् इश्तकरार कि जो नामान्तकरण तारीख 10.04.87 को किया, अवैध है एवं निषेधाज्ञा जारी करने दरख्वास्त अन्तर्गत धारा 91 राज. टिनेंसी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया है एवं चूंकि प्रस्तुत मामले में विवादित भूमि का नामान्तकरण प्रतिवादी सं. 3 के पक्ष में दर्ज होने से एवं विवादित भूमि का कब्जा अवाप्ति कार्यवाही के तहत प्रतिवादी सं. 3 को सिपूर्द किए जाने से अवाप्ति की कार्यवाही के तहत प्रतिवादी सं. 3 के पक्ष में हुए नामान्तकरण को निरस्त किए जाने बाबत् वाद को सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नही है । अवाप्ति की कार्यवाही के तहत प्रतिवादी सं. 3 के पक्ष में हुए नामान्तकरण को निरस्त किए जाने हेतू यह न्यायालय सक्षम न्यायालय नही है। अतः यह तनकी प्रतिवादी सं. 3 के पक्ष में तय की जाती है।

अनुतोष :–

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर तनकी नं. 1, 2 एवं अतिरिक्त तनकी नं. 2 प्रतिवादी सं. 3 के पक्ष में निर्णित की जाने से एवं तनकी नं. 3 व अतिरिक्त तनकी नं. 1 वादीगण के विरूद्व निर्णित की गई है। अतः वादीगण का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्व अस्वीकार कर खरिज किए जाने योग्य होना पाया जाता है।

–: आदेश :–

फलतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत हस्तगत वादपत्र के निस्तारण हेतु कायम की गई तनकी नम्बर 1, 2 एवं अतिरिक्त तनकी नं. 2 प्रतिवादी सं. 3 के पक्ष में निर्णित की जाने से एवं तनकी नं. 3 व अतिरिक्त तनकी नं. 1 वादीगण के विरूद्व निर्णित होने के कारण वादीगण का वाद स्वीकार किए जाने योग्य नही होने के कारण वाद वादीगण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।
खर्चा मुकदमा दोनो पक्षकार अपना अपना वहन करेंगे। इसी अनुसार डिकी पर्चा कायम किया जावे।

निर्णय व आदेश आज दिनांक 02.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सांवरमल अबासरा)
उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6–7 जा.दी.)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर मुकाम डूंगरपुर

बईजलास श्री सांवरलाल आबासरा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर

प्रकरण संख्या 160/04 बाद दायर दिनांक 10.08.2004

ऑन लाईन नम्बर 2004/00001 निर्णय दिनांक 02.06.2025

1. खुशीलाल पिता सूरजमल महाजन निवासी डूंगरपुर मृतक के कायम मुकाम
   - 1/1 श्रीमती तिलका गॉधी बेवा खुशीलाल गॉधी
   - 1/2 श्री अनुप गॉधी पुत्र खुशीलाल गॉधी
   - 1/3 श्रीमती मीना जैन पुत्री खुशीलाल गॉधी पत्नी श्री प्रवीणमल
   - 1/4 श्रीमती रेखा पुत्री खुशीलाल गॉधी पत्नी श्री राजेश गोठी
   - 1/5 श्री लोकेश गॉधी पुत्र खुशीलाल गांधी
   - 1/6 श्रीमती सरोज जैन पुत्री खुशीलाल गांधी पत्नी चन्द्र प्रकाश जैन

   समस्त निवासीगण डूंगरपुर राजस्थान
2. वैलजी पिता गंगाराम ब्राह्मण इन्दौडा मृतक के कायम मुकाम
   - 2/1 श्रीमती पार्वती पति स्व. वेलजी उपाध्याय
   - 2/2 श्री चन्द्रकान्त पिता स्व. वेलजी उपाध्याय
   - 2/3 श्री पुष्पा मेहता पिता स्व. वेलजी उपाध्याय
   - 2/4 श्रीमती प्रेमलता पिता स्व. वेलजी उपाध्याय
   - 2/5 श्री पी.एन. उपाध्याय पिता स्व वेलजी उपाध्याय
   - 2/6 श्री जगदीश पिता स्व.वेलजी उपाध्याय

   निवासीगण नया बाजार डूंगरपुर राजस्थान
3. प्रेमजी पिता कमलजी ब्राह्मण इन्दौडा मृतक के कायम मुकाम
   - 3/1 मृतक कन्हैयालाल पिता स्व. प्रेमजी उपाध्याय के कायम मुकाम
   - 3/1/1 श्री अशोक कुमार पिता स्व.कन्हैयालाल उपाध्याय
   - 3/2 श्री मनसुखलाल पिता प्रेमजी उपाध्याय
   - 3/3 श्री दयाराम पिता प्रेमजी उपाध्याय

   समस्त निवासीगण डूंगरपुर
4. मनोहरलाल पिता सज्जनलाल निवासी डूंगरपुर
5. लक्ष्मणलाल पिता सज्जनलाल जी ब्राह्मण निवासी डूंगरपुर राजस्थान के कायम मुकाम
   - 5/1 श्रीमती भगवतीदेवी बेवा लक्ष्मणलालजी शर्मा निवासी दवे होटल के सामने सागवाडा रोड, डूंगरपुर हाल आई 250 हिरणमंगरी सेक्टर 4 उदयपुर राजस्थान
   - 5/2 श्री वीजेन्द्र कुमार पिता स्व. लक्ष्मणलालजी शर्मा निवासी डूंगरपर हाल उदयपुर 250 आई ब्लॉक सेक्टर 14 उदयपुर
   - 5/3 श्री मृगेन्द्र शर्मा पिता स्व. लक्ष्मणलालजी शर्मा निवासी डूंगरपुर हाल उदयपुर 250 आई ब्लॉक सेक्टर 14 उदयपुर
   - 5/4 श्री कमलेश शर्मा पिता स्व. लक्ष्मणलालजी शर्मा निवासी डूंगरपुर हाल उदयपुर आई सेक्टर 14 उदयपुर
   - 5/5 श्रीमती माया शर्मा पति दिनेशचन्द्र चौबीसा पुत्री लक्ष्मणलालजी शर्मा निवासी डूंगरपुर हाल 138 आई ब्लॉक सेक्टर 14 उदयपुर राजस्थान
   - 5/6 श्रीमती चित्रलेखा शर्मा नि.डूंगरपुर हाल 138 आई ब्लॉक सेक्टर 14 उदयपुर राजस्थान
6. सुशीलचन्द्र पिता सज्जनलालजी ब्राह्मण निवासी डूंगरपुर राजस्थान (मृतक के कायम मुकाम)
   - 6/1 दिनेश चन्द्र पिता स्व. सुशीलचन्द्र निवासी भुवनेश्वरी कॉलोनी डूंगरपुर
   - 6/2 श्री नवीन चन्द्र पिता स्व. सुशीलचन्द्र निवासी भुवनेश्वरी कॉलोनी डूंगरपुर
   - 6/3 श्री मधुश्याम पिता स्व. सुशीलचन्द्र निवासी भुवनेश्वरी कॉलोनी डूंगरपुर
   - 6/4 श्री कपीलचन्द्र पिता स्व. सुशीलचन्द्र निवासी भुवनेश्वरी कॉलोनी डूंगरपुर

6/5 श्रीमती भुवनेश्वरी पत्नी स्व. सुशीलचन्द्र निवासी भुवनेश्वरी कॉलोनी डूंगरपुर

7. कैलाशचन्द्र पिता जवाहरलाल महाजन निवासी बम्बई जरिये देवीलाल पिता सूरजमल गॉधी निवासी डूंगरपुर राजस्थान

——वादीगण

—: बनाम :—

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर डूंगरपुर राज.
2. भूमि अवाप्ति अधिकारी डूंगरपुर राज.
3. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम डूंगरपुर जरिये प्रबन्धक एवं प्रभारी अधिकारी डूंगरपुर

——प्रतिवादीगण

बाद बाबत् इस्तकरार कि जो नामान्तकरण तारीख 10.04.87 को किया, अवैध है एवं निषेधाज्ञा जारी करने अन्तर्गत धारा 91 राज. टिनेंसी एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कत्तई रूबरू सांवरलाल आबासरा आर.ए.एस. मिनजानिब ...जरी लक्ष्मीलाल जैन एवं श्री संजीव भटनागर एडवोकेट मिनजानिब मुदईयान श्री प्रकाश पटेल जानिब मददायला प्रतिवादी होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है :—

वादीगण की ओर से प्रस्तुत हस्तगत वादपत्र के निस्तारण हेतु कायम की गई तनकी नम्बर 1, 2 एवं अतिरिक्त तनकी नं. 2 प्रतिवादी सं. 3 के पक्ष में निर्णित की जाने से एवं तनकी नं. 3 व अतिरिक्त तनकी नं. 1 वादीगण के विरूद्व निर्णित होने के कारण वादीगण का वाद स्वीकार किए जाने योग्य नही होने के कारण वाद वादीगण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

बराखा मेरे दरतखत व मुहर अदालत से आज तारीख 02 माह 06 सन् 2025 को जारी की गई।

(सांवरलाल आबासरा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर
डूंगरपुर

मुद्दई	रूपया/पैसा	मुद्दायला	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा		स्टाम्प अरजी दावा	
स्टाम्प वकालत नामा		स्टाम्प वकालत नामा	
स्टाम्प वजह सबुत		स्टाम्प वजह सबुत	
मेहनताना वकील		मेहनताना वकील	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
वक्त ईजराय		वक्त ईजराय	
मुतफरीक		मुतफरीक	

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर
डूंगरपुर